नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

परिवहन विशेष

www.newsparivahan.com

वर्ष 04, अंक 219, नई दिल्ली, शुक्रवार 13 नवम्बर 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सफलता केवल मंज़िल तक पहुँचने में नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने के निरंतर प्रयास में छिपी होती है।

03 विविधता में एकता: भाषा, आस्था और मानवीय चेतना का दार्शनिक सच

06 बच्चों को केवल प्रतियोगिता के लिए नहीं, जीवन के लिए तैयार करें : अंकों

05 नशा खत्म तो 90% अपराध खत्म - सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय का दावा, कानून

बिना गिरवी 20 लाख तक का लोन? सरकार बनी आपकी गारंटी - मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया में 5 साल का बड़ा फैसला

5000 करोड़ की गारंटी से 12.6 लाख करोड़ के लोन का रास्ता, फीस 1% से घटकर 0.75% - लेकिन 20 लाख सबको नहीं मिलेगा, पूरा सच जानिए

रिपोर्ट : परिवहन विशेष समाचार पत्र - जनहित डेस्क

जब कोई आम आदमी बैंक में अपना काम-धंधा शुरू करने के लिए लोन मांगने जाता है, तो सबसे पहली दिक्कत आती है गारंटी की। बैंक पूछता है कि लोन तो मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले गिरवी क्या रखोगे?

इसी टेंशन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को अगले 5 सालों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यानी अब आपको बैंक को गारंटी देने की जरूरत नहीं है, आपकी गारंटी खुद सरकार ले रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को यह फैसला लिया। अब योजना 31 मार्च 2031 तक चलेगी। साथ ही स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया गया है।

मुख्य तथ्य - एक नज़र में

- कैबिनेट फैसला: 11 नवंबर 2026, पीएम मोदी की अध्यक्षता में
- CGFMU - मुद्रा गारंटी फंड: 5,000 करोड़ रुपये का कॉर्पस
- स्टैंड-अप इंडिया गारंटी फंड: 4,111 करोड़ रुपये का कॉर्पस
- दोनों मिलाकर: 9,111 करोड़ रुपये से ज्यादा का गारंटी सपोर्ट
- अवधि: वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक, यानी 16वें वित्त आयोग का पूरा चक्र
- अनुमान: इस गारंटी से अगले 5 साल में 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के नए मुद्रा लोन बंट सकेंगे
- गारंटी फीस: 1% सालाना से घटकर 0.75% सालाना
- अब तक का रिकॉर्ड: शुरू से सितंबर 2026 तक 60.36 करोड़ से ज्यादा लोन, कुल 43.34 लाख करोड़ रुपये मंजूर
- गारंटी देने वाली संस्था: राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी - NCGTC
- मुद्रा योजना शुरू: 8 अप्रैल 2015
- CGFMU शुरू: जनवरी 2016

1. 5000 करोड़ बांटे नहीं जाएंगे - सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करें केंद्र सरकार ने मुद्रा लोन के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 5000 करोड़ रुपये का एक फंड मंजूर किया है। दरअसल, यह पैसा सीधे तौर पर लोन के रूप में नहीं बांटा जाएगा। यह पैसा गारंटी के तौर पर काम करेगा।

सरकार का अनुमान है कि उसके इस 5000 करोड़ रुपये की गारंटी से अगले पांच सालों में बैंक बिना डरे लोगों को 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के नए लोन बांट सकेंगे।

कैसे काम करती है क्रेडिट गारंटी? मान लीजिए आप एक नई दुकान खोलना चाहते हैं और आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 10 लाख रुपये का लोन चाहिए।

आपके पास गिरवी रखने के लिए कोई जमीन या सोना नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) बैंक से कहती है कि आप इस व्यक्ति को बिना कुछ गिरवी रखवाए लोन दे दीजिए।

अगर कल को यह व्यक्ति किसी मजबूरी में पैसा नहीं लौटा पाया, तो नुकसान की भरपाई हम करेंगे। सरकार की इस गारंटी की वजह से बैंकों का रिस्क खत्म हो जाता है और वे आम लोगों को आसानी से लोन दे देते हैं।

याद रखें:

> गारंटी बैंक को मिलती है, लोन आपको मिलता है। गारंटी मिलने का मतलब यह नहीं कि लोन मंजूर होना ही है। बैंक आपकी आय, बिजनेस प्लान, सिबिल स्कोर और चुकाने की क्षमता देखकर ही फैसला लेगा।

2. इसके 3 बड़े फायदे - जो सही हैं

1. मुद्रा योजना में 20 लाख तक का लोन: पहले मुद्रा योजना (PMMY) के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार का यह गारंटी फंड पात्र लोगों को 20 लाख रुपये तक के बिजनेस लोन पर पूरी सुरक्षा देगा।

2. जन धन खातों पर 10,000 की ओवरड्राफ्ट: जिन लोगों के पास प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता है, उन्हें जरूरत पड़ने पर बैंक से 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट यानी अकाउंट में जीरो बैलेंस होने पर भी पैसे निकालने की सुविधा मिलती है। इसकी गारंटी भी इसी फंड से कवर होगी।

3. महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को मदद: गांवों और शहरों में जो महिलाएं या लोग स्वयं सहायता समूह बनाकर काम कर रहे हैं, उन्हें 10 लाख से 20 लाख रुपये तक के लोन लेने पर भी इस गारंटी फंड का सीधा फायदा मिलेगा।

यहां सुधार - ध्यान से पढ़ें: स्वयं सहायता समूहों के लिए फंड में पोर्टफोलियो 10 लाख से 20 लाख रुपये वाला कवर किया गया है। यानी समूह के पूरे पोर्टफोलियो के हिसाब से गारंटी मिलती है, हर सदस्य को अलग-अलग 20 लाख नहीं।

3. 20 लाख सबको नहीं मिलेगा - ये बात पुराने लेख में रह गई थी यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पाठकों को जरूर जाननी चाहिए।

मुद्रा योजना में 4 श्रेणियां हैं:

श्रेणी	लोन राशि	किसके लिए
शिशु	50,000 रुपये तक	नया, बहुत छोटा काम शुरू करने वाले - ठेला, सिलाई, छोटी दुकान
किशोर	50,001 से 5 लाख तक	जमा हुआ छोटा कारोबार बढ़ाने वाले
तरुण	5 लाख से 10 लाख तक	बढ़ता हुआ माइक्रो उद्यम
तरुण प्लस	10 लाख से 20 लाख तक	सिर्फ वे लोग जिन्होंने तरुण लोन लिया और सफलतापूर्वक चुका दिया

मतलब साफ है:

- 20 लाख की सीमा अक्टूबर 2024 में तरुण प्लस श्रेणी के साथ आई थी।
- पहली बार लोन लेने वाले को सीधे 20 लाख नहीं मिलेगा। उसे शिशु / किशोर / तरुण से शुरुआत करनी होगी।
- तरुण प्लस एक ग्रेजुएशन श्रेणी है - अच्छा रिकॉर्ड बनाने वालों के लिए अगली सीढ़ी।

अगर कोई एजेंट आपसे कहे कि पहली बार में ही 20 लाख दिला दूंगा, तो समझिए वह झूठ बोल रहा है या ठगी कर रहा है।

4. लोन को और सस्ता करने का भी इंतजाम - फीस घटी, ब्याज नहीं सरकार ने सिर्फ गारंटी की अवधि ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि बैंकों पर लगने वाले गारंटी शुल्क को भी कम कर दिया है।



- पहले बैंकों को इस गारंटी के बदले सरकार को सालाना 1% फीस देनी होती थी
- जिसे घटाकर अब 0.75% कर दिया गया है
- स्वयं सहायता समूहों के लिए फीस पहले की तरह ही बहुत मामूली यानी 0.25% और 0.50% रखी गई है
- स्टैंड-अप इंडिया के लिए मानक गारंटी शुल्क 0.50% है

बहुत जरूरी स्पष्टीकरण:

> यह गारंटी फीस है, ब्याज दर नहीं।

मुद्रा लोन पर ब्याज बैंक खुद तय करता है, आमतौर पर 9% से 12% सालाना के बीच रहता है। फीस कम होने से बैंकों की लागत घटेगी, जिससे आम ग्राहकों के लिए लोन पास कराना और भी आसान हो जाएगा, लेकिन ब्याज सीधे 0.75% नहीं हो जाएगा। इस भ्रम से बचें।

5. स्टैंड-अप योजना में कितना लाभ? - पूरा सच सरकार ने महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लोगों को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का शानदार मौका दिया है।

पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया है और इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को भी हरी झंडी दे दी है।

इस बेहतरीन स्कीम के तहत पात्र लोग अपना नया काम शुरू करने के लिए बैंक से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन आसानी से ले सकते हैं।

सरकार का सीधा लक्ष्य अगले 5 सालों में 2.5 लाख नए लोगों को इस योजना का फायदा पहुंचाकर उन्हें आत्मनिर्भर उद्यमी बनाना है। न्यूनतम 2.5 लाख लाभार्थियों को योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना की असली शर्तें, जो पुराने लेख में छूट गई थीं:

- किसके लिए: महिलाएं और SC / ST उद्यमी, नए - ग्रीनफील्ड - उद्यम के लिए
- प्रति शाखा लक्ष्य: औसतन 2 लोन प्रति बैंक शाखा का लक्ष्य रखा गया है
- 85% वाली बात: लेख में कहा गया कि ऋण राशि का 85 प्रतिशत सरकार मुहैया कराती है - असल में स्टैंड-अप इंडिया में बैंक लोन परियोजना लागत का 85% तक कवर कर सकता है, बाकी 15% उद्यमी को अपनी ओर से लगाना होता है। यह मुफ्त पैसा नहीं, लोन है।

मतलब: स्टैंड-अप इंडिया मुद्रा से अलग है। यह बड़ा, नया बिजनेस शुरू करने वालों के लिए है, छोटी दुकान के लिए नहीं।

6. कौन ले सकता है लोन? - पात्रता

मुद्रा योजना के लिए:

- भारतीय नागरिक, उम्र 18 साल से ऊपर
- गैर-कृषि, गैर-कॉर्पोरेट माइक्रो उद्यम - जैसे दुकान, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, फूड, ट्रेडिंग
- नया या चलता हुआ बिजनेस
- कोई गिरवी / कोलैटरल जरूरी नहीं, लेकिन बिजनेस प्लान, आधार, पैन, बैंक स्टेटमेंट, आय प्रमाण जरूरी

स्टैंड-अप इंडिया के लिए:

- महिला या SC / ST वर्ग का व्यक्ति, 18 साल से ऊपर
- नया ग्रीनफील्ड उद्यम - पहले से चल रहे बिजनेस के विस्तार के लिए नहीं
- किसी बैंक / वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए

लोन नहीं मिलेगा अगर:

- आप पहले से किसी लोन में डिफॉल्टर हैं
- बिजनेस का कोई प्लान ही नहीं है
- दस्तावेज अधूरे हैं

7. आवेदन कैसे करें? - ठगी से बचने के लिए यही सबसे जरूरी हिस्सा है

सही तरीका:

1. अपने नजदीकी बैंक शाखा, RRB, NBFC, MFI में जाएं
2. जन समर्थ पोर्टल - http://jansamarth.in या udyamimitra.in पर ऑनलाइन आवेदन करें
3. मुद्रा लोन के लिए mudra.org.in पर सिर्फ जानकारी लें - यह पोर्टल लोन नहीं देता
4. बैंक ही लोन मंजूर करेगा, कोई सरकारी दफ्तर सीधे लोन नहीं देता

ठगी से बचें:

- मुद्रा / स्टैंड-अप इंडिया के नाम पर कोई सरकारी फीस, प्रोसेसिंग फीस, गारंटी फीस ऑनलाइन नहीं मांगी जाती
- कोई एजेंट, व्हाट्सऐप नंबर, फर्जी वेबसाइट कहे कि पैसा दो तो लोन पक्का, तो तुरंत सावधान हो जाएं
- शिशु लोन पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती, बड़ी श्रेणी पर फीस बैंक की रसीद पर ही दें
- लोन चुकाना ही होगा। गारंटी मिलने का मतलब कर्ज माफ नहीं है। चूक हुई तो आपका सिबिल स्कोर खराब होगा और वसूली आपसे ही होगी।

8. अब तक कितने लोगों को मिला है फायदा? आंकड़े बताते हैं कि जब से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई है, तब से लेकर सितंबर 2026 तक बैंकों ने 60.36 करोड़ से ज्यादा लोन पास किए हैं, जिनकी कुल रकम 43.34 लाख करोड़ रुपये बैठती है। इस शानदार रिकॉर्ड के पीछे इसी गारंटी फंड का सबसे बड़ा हाथ रहा है।

CGFMU की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी। इसी गारंटी फंड ने छोटे कारोबारियों को साहूकारों के 2-5% मासिक ब्याज से बचाकर औपचारिक बैंकिंग में लाया है।

अब आगे:

- 5 साल में 12.6 लाख करोड़ के नए लोन का अनुमान है - यह लक्ष्य है, पहले से बांटा हुआ पैसा नहीं
- अगर बैंक ईमानदारी से, बिना रिश्वत के, छोटे लोगों को लोन दें, तो यह योजना रोजगार पैदा कर सकती है

संपादकीय निष्कर्ष - जनहित में हमारी अपील यह फैसला अच्छा है, लेकिन फैसला ही काफी नहीं है। सरकार ने गारंटी दे दी है, अब बैंक की बारी है।

> बैंक शाखाओं में छोटा आदमी धक्के न खाए, उसे फॉर्म भरने में मदद मिले, उसका आवेदन बिना कारण न लटकाया जाए - तभी 5000 करोड़ की गारंटी का मतलब बनेगा।

और जनता की बारी है -

> लोन को अनुदान न समझें। 20 लाख का सपना देखें, लेकिन शुरुआत 50 हजार की ईमानदारी से करें। तरुण लोन चुकाएंगे, तभी तरुण प्लस का दरवाजा खुलेगा।

सरकार आपकी गारंटी ले रही है, अब आपको अपनी मेहनत की गारंटी देनी है।

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - जनहित में - दिल्ली परिवहन

परिवहन क्षेत्र का दिल्ली सरकार के खिलाफ 17 नवंबर को विशाल प्रदर्शन!

हजारों टैक्सी एवं बस ऑपरेटर, वाहन मालिक और चालक दिल्ली सचिवालय की ओर करेंगे कूच | रोजगार बचाओ – परिवहन उद्योग बचाओ!

प्रस्तुतकर्ता विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र

दिल्ली के परिवहन उद्योग में बड़ा उबाल आ गया है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन (रजि.) ने दिल्ली सरकार की परिवहन नीतियों के विरोध में 17 नवंबर 2026 को दिल्ली सचिवालय पर विशाल प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है।

तथ्य एक नज़र में – बिंदु – विवरण

आयोजक	दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन (रजि.)
प्रदर्शन की तारीख	17 नवंबर 2026
स्थान	दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
कौन शामिल होगा	टैक्सी ऑपरेटर, बस ऑपरेटर, वाहन मालिक, चालक, टूरिस्ट वाहन संचालक, ट्रांसपोर्टर
मुख्य मांग	BS-IV प्रतिबंध, भारी चालान, पैनिक बटन / VLTD खर्च, इलेक्ट्रिक वाहन के दबाव पर राहत
नारा	रोजगार बचाओ - परिवहन उद्योग बचाओ!

मुख्य बिंदु – विरोध क्यों?

1. BS-IV डीजल बसों पर स्थायी प्रतिबंध एसोसिएशन का कहना है कि BS-IV डीजल बसों पर स्थायी प्रतिबंध से बस मालिकों की करोड़ों की पूंजी एक झटके में डूब गई है। जिन बसों की अभी किश्तें चल रही हैं, वे खड़ी हो गई हैं।

2. BS-IV डीजल टैक्सियों पर चार महीने का प्रतिबंध टैक्सी ऑपरेटरों पर चार महीने के प्रतिबंध ने उनकी मासिक आय पूरी तरह ठप कर दी है, जबकि किश्त, बीमा, परमिट और चालक का वेतन जारी है।

3. भारी ट्रैफिक चालान भारी-भरकम ट्रैफिक चालानों ने छोटे ऑपरेटरों की कमर तोड़ दी है। एक-दो चालान में ही महीने भर की कमाई चली जाती है।

4. पैनिक बटन और VLTD के नाम पर अत्यधिक खर्च पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) के नाम पर लगाए जा रहे अत्यधिक खर्च, बार-बार की फिटिंग, सर्विस चार्ज और जुर्माने ने ऑपरेटरों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है।

5. इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य रूप से अपनाने का दबाव बिना पर्याप्त चार्जिंग सुविधा, बिना सब्सिडी की समय पर व्यवस्था और बिना पुराने वाहनों के लिए उचित मुआवजे के, इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य करने का दबाव उद्योग को संकट में धकेल रहा है।

विस्तृत विवरण

भाग 1 - उद्योग गंभीर आर्थिक संकट में एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की इन नीतियों के कारण हजारों वाहन मालिक और लाखों चालक बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गए हैं।

टैक्सी-बस केवल वाहन नहीं है, वह एक परिवार की रोजी-रोटी है। जब वाहन खड़ा होगा, तो चालक का चूल्हा भी ठंडा होगा।

भाग 2 - मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग, समाधान नहीं एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए बार-बार समय मांगे जाने के बावजूद अभी तक उनकी समस्याओं का कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला है।

एसोसिएशन का कहना है कि हमने ज्ञापन दिया, बैठक की मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब सड़क पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।

भाग 3 - यह केवल टैक्सी-बस की लड़ाई नहीं श्री संजय सम्राट ने चेतावनी देते हुए कहा कि 17 नवंबर का यह प्रदर्शन केवल टैक्सी और बस ऑपरेटरों की लड़ाई नहीं है, बल्कि परिवहन उद्योग से जुड़े लाखों परिवारों की रोजी-रोटी और रोजगार बचाने की लड़ाई है।

इसमें टैक्सी, बस, टूरिस्ट वाहन, स्कूल बस, स्टाफ बस, ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक, एजेंट - सभी जुड़े हैं।

भाग 4 - अपील - अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें उन्होंने दिल्ली-NCR के सभी टैक्सी ऑपरेटरों, बस मालिकों, टूरिस्ट वाहन संचालकों, ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली सचिवालय पहुंचकर इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाएं।

17 नवंबर को क्या होगा?

- सुबह से ही ऑपरेटर और चालक दिल्ली सचिवालय की ओर कूच करेंगे
- एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री / दिल्ली सरकार को मांग-पत्र सौंपा जाएगा
- शांतिपूर्ण, अनुशासित और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन की अपील की गई है

प्रदर्शन में शामिल होने वालों के लिए अपील:

- अपने वाहन के कागजात साथ रखें
- शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार की हिंसा / तोड़फोड़ न करें
- ट्रैफिक और आम जनता को अनावश्यक परेशानी न हो, इसका ध्यान रखें
- एसोसिएशन के पदाधिकारियों के निर्देशों का पालन करें

संपादकीय टिप्पणी परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक का मानना है कि पर्यावरण की रक्षा जरूरी है, लेकिन रोजगार की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है।

प्रदूषण रोकना सरकार का दायित्व है, लेकिन बिना वैकल्पिक व्यवस्था, बिना समय, बिना मुआवजे के एक झटके में वाहन खड़ा कर देना न्याय नहीं है।

BS-IV वाहन कल तक वैध था, आज अचानक अवैध कैसे हो गया? जिस वाहन पर बैंक का कर्ज है, उसकी किश्त कौन देगा?

सरकार को चाहिए कि 17 नवंबर से पहले एसोसिएशन से बात करे, चरणबद्ध समय-सीमा दे, पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप / मुआवजा / री-फाइनेंस की व्यवस्था करे, और VLTD / पैनिक बटन के खर्च को तर्कसंगत करे।

और एसोसिएशन को भी चाहिए कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रखे, ताकि आम दिल्लीवासी की सहानुभूति उसके साथ रहे।

आज का संकल्प -

रोजगार बचाओ - परिवहन उद्योग बचाओ!

17 नवंबर को दिल्ली सचिवालय की ओर कूच करो!

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन (रजि.)

नोट: यह प्रेस विज्ञप्ति एसोसिएशन द्वारा जारी बयान के आधार पर जनहित में प्रकाशित की गई है। दिल्ली सरकार का पक्ष मिलने पर उसे भी समान स्थान दिया जाएगा।





इस सर्दी निमोनिया से बचें - विश्व निमोनिया दिवस पर हेल्दी हैबिट्स का महामंत्र, छोटे से बदलाव से बच सकती है बड़ी बीमारी

बच्चों का टीकाकरण, मां का दूध, हाथ की सफाई और धुएं से दूरी – 5 आसान आदतें, जो फेफड़ों को रखेंगी मजबूत

रिपोर्ट : परिवहन विशेष समाचार पत्र - हेल्थ / जनहित डेस्क

सर्दी आते ही खांसी, जुकाम, बुखार और सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। इन्हीं में सबसे खतरनाक बीमारी है - निमोनिया। यह फेफड़ों का संक्रमण है, जो बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है।

विश्व निमोनिया दिवस पर हेल्थ केयर - हेल्दी हैबिट्स के तहत एक सीधा संदेश दिया गया है - निमोनिया से बचाव इलाज से ज्यादा आसान है। सही टीकाकरण, अच्छा पोषण, साफ-सफाई और समय पर डॉक्टर से मिलना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।

यह लेख उसी संदेश को विस्तार से, आम आदमी की भाषा में प्रस्तुत करता है, ताकि हर घर इस सर्दी में अपने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रख सके।

> नोट : ये सामान्य स्वास्थ्य सुझाव हैं। ये किसी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं हैं। बीमारी होने पर अपने नजदीकी डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें।

मुख्य तथ्य - एक नज़र में

- बीमारीः निमोनिया - फेफड़ों का संक्रमण
- सबसे ज्यादा खतराः छोटे बच्चे, बुजुर्ग, अस्थमा / फेफड़ों की बीमारी वाले लोग
- खतरनाक मौसमः सर्दी और स्मॉग / धुंध वाले दिन
- बचाव के 5 सूत्रः टीकाकरण, स्तनपान + पोषण, हाथ की सफाई, धुएं से दूरी, समय पर इलाज
- बच्चों के लिए 3 जरूरी टीकेः PCV - न्यूमोकोकल, Hib, खसरा - Measles
- स्तनपानः पहले 6 महीने सिर्फ मां का दूध
- खतरे के लक्षणः बुखार के साथ खांसी, तेज या कठिन सांस, सीने में दर्द
- सबसे बड़ी गलतीः खांसी-बुखार को मामूली समझकर घर पर देर तक इलाज करना

1. निमोनिया क्या है? - आसान भाषा में समझें निमोनिया में फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। फेफड़ों में हवा की थैलियां - एल्वियोली - सूज जाती हैं और उनमें मवाद / तरल भर जाता है। इससे सांस लेना कठिन हो जाता है, ऑक्सीजन कम मिलने लगती है।

निमोनिया क्यों होता है?

- बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से संक्रमण
- सर्दी में वायरल संक्रमण के बाद बैक्टीरिया का हमला
- धुआं, प्रदूषण और ठंडी हवा से फेफड़े कमजोर होना
- कुपोषण और कमजोर इम्युनिटी

किसको सबसे ज्यादा खतरा है?

1. 5 साल से छोटे बच्चे - जिनकी इम्युनिटी अभी बन रही है
2. 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग - जिनके फेफड़े कमजोर हो चुके हैं
3. अस्थमा, COPD, डायबिटीज, हृदय रोग वाले लोग
4. धूम्रपान करने वाले और धुएं में रहने वाले लोग
5. कुपोषित बच्चे

> निमोनिया सिर्फ खांसी नहीं है, यह सांस की बीमारी है। देर की तो जान पर बन सकती है।

2. पहला बचाव - बच्चों का टीकाकरण पूरा रखें निमोनिया से बचाव का सबसे मजबूत हथियार है - टीका।

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों को ये टीके अवश्य लगवाएं:

टीका किससे बचाता है

PCV - न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया से

Hib - हीमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप बी Hib बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया और मेनिनजाइटिस से

खसरा - Measles खसरे के बाद होने वाले निमोनिया से

माता-पिता के लिए 3 जरूरी बातें:

1. टीकाकरण कार्ड संभालकर रखें, कोई टीका छूटा तो आंगनबाड़ी / PHC पर पूछें
2. टीका लगने के बाद हल्का बुखार आना सामान्य है, घबराएं नहीं
3. टीका सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही नहीं, मान्यता प्राप्त निजी केंद्र पर भी लग सकता है, लेकिन कार्ड पर एंट्री जरूर कराएं

> टीका लगवाना खर्च नहीं, बचत है। एक टीका बच्चे को अस्पताल के हजारों रुपये के खर्च और जान के खतरे से बचा सकता है।

3. दूसरा बचाव - पहले 6 महीने सिर्फ मां का दूध, फिर अच्छा पोषण बच्चे की पहली सुरक्षा उसकी मां के दूध में है।

पहले 6 महीने - एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग:

- पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध दें, पानी, शहद, घुट्टी - कुछ नहीं
- मां का पहला गाढ़ा पीला दूध - कोलोस्ट्रम - बच्चे के लिए सबसे पहला टीका है
- मां के दूध में एंटीबॉडी होती हैं, जो फेफड़ों के संक्रमण से लड़ती हैं



6 महीने के बाद - अच्छा पोषण:

- 6 महीने के बाद मां के दूध के साथ पूरक आहार शुरू करें - दाल का पानी, खिचड़ी, दलिया, उबली सब्जी, फल
- बच्चे को प्रोटीन, विटामिन A, C, जिंक और आयरन वाला भोजन दें
- हरी सब्जी, दाल, अंडा, दूध, मौसमी फल - ये सब इम्युनिटी बढ़ाते हैं

बुजुर्गों और बड़ों के लिए भी पोषण जरूरी:

- सर्दी में गर्म, ताजा और पौष्टिक भोजन लें
- पानी कम न पिएं, गुनगुना पानी पिएं
- जंक फूड, ठंडा और बासी खाना कम करें

> अच्छा पोषण ही बच्चे की प्राकृतिक ढाल है। कमजोर बच्चा ही निमोनिया की चपेट में जल्दी आता है।

4. तीसरा बचाव - हाथ की सफाई, खांसी का शिष्टाचार, धुएं से दूरी निमोनिया के कीटाणु हाथ, खांसी और धुएं से फैलते हैं। इसलिए 3 आदतें अपनाएं:

1. हाथ धोएं - साबुन से, बार-बार
- खाना खाने से पहले, शौच के बाद, बाहर से आने पर
- बच्चे के मुंह, नाक, आंख छूने से पहले हाथ जरूर धोएं
- साबुन न हो तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें

2. खांसी-छींक को ढकें
- खांसते-छींकते समय मुंह को रूमाल, टिश्यू या कोहनी से ढकें
- इस्तेमाल किया टिश्यू तुरंत डस्टबिन में डालें
- बच्चे को भी यही आदत सिखाएं - खांसी में मुंह न खोलें

3. धुएं से दूर रहें

- तंबाकू / बीड़ी / सिगरेट के धुएं से दूर रहें, बच्चे के सामने बिल्कुल न पिएं
- घर में चूल्हे / लकड़ी / कोयले का धुआं हो तो वेंटिलेशन रखें, बच्चा धुएं वाले कमरे में न सोए
- अगरबत्ती, मच्छर कॉइल का धुआं भी अस्थमा वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है

> धुआं फेफड़ों को अंदर से कमजोर करता है। धुएं वाला घर निमोनिया को न्योता देता है।

5. चौथा बचाव - स्मॉग वाले दिन विशेष सावधानी सर्दी में दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई जगहों पर स्मॉग / धुंध बढ़ जाती है। स्मॉग वाले दिन फेफड़ों पर बोझ दोगुना हो जाता है।

स्मॉग वाले दिन क्या करें:

- बाहर की कसरत, दौड़, खेल कम करें
- बुजुर्गों और अस्थमा / फेफड़ों की बीमारी वालों को घर के अंदर रखें
- बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क लगाएं, सुबह की घनी धुंध में टहलने न जाएं
- घर में दरवाजे-खिड़की बंद रखें, एयर प्यूरीफायर हो तो चलाएं
- घर में गीले कपड़े से पोंछा लगाएं, धूल न उड़ने दें

किसको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है:

- अस्थमा, एलर्जी, COPD वाले मरीज
- 5 साल से छोटे बच्चे
- 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग
- दिल और फेफड़ों के मरीज

6. पांचवां बचाव - खतरे के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं निमोनिया में सबसे बड़ी गलती है - देर करना।

तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अगर:

- बुखार के साथ खांसी आ रही है
- सांस तेज चल रही है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है
- सीने में दर्द हो रहा है
- बच्चे की पसलियां चल रही हैं, नाक फूल रही है
- होंठ या नाखून नीले पड़ रहे हैं
- बच्चा दूध नहीं पी रहा, सुस्त हो गया है
- बुजुर्ग को सांस फूल रही है, भ्रम / कमजोरी हो रही है

घर पर क्या न करें:

- बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक शुरू न करें
- खांसी की दवा से ही ठीक हो जाएगा, यह सोचकर 3-4 दिन इंतजार न करें
- भाप / घरेलू नुस्खे पर ही भरोसा करके डॉक्टर को टालें नहीं

> जल्दी इलाज जीवन बचाता है। निमोनिया में 24 घंटे की देरी भी भारी पड़ सकती है।

7. सर्दी में हर घर के लिए हेल्दी हैबिट्स चेकलिस्ट

रोज सुबहः

- गुनगुना पानी पिएं
- घर की खिड़कियां खोलकर ताजी हवा आने दें - स्मॉग न हो तो
- बच्चे को गर्म कपड़े पहनाएं

दिन भरः

- हाथ साबुन से धोएं
- खांसी में मुंह ढकें
- धुएं से दूर रहें

रात कोः

- बच्चे को ठंडी हवा में सीधे न सुलाएं
- कमरे में नमी न बढ़ने दें, गीले कपड़े कमरे में न सुखाएं
- बुखार / खांसी हो तो रात भर नजर रखें

पूरे मौसम मेंः

- टीकाकरण कार्ड चेक करें
- बच्चे का वजन और पोषण देखें
- बुजुर्गों की दवा समय पर दें

संपादकीय निष्कर्ष - जनहित में हमारी अपील निमोनिया गरीब-अमीर नहीं देखता, यह कमजोर फेफड़ों को देखता है।

माता-पिता से अपील -

> बच्चे का टीका अधूरा मत छोड़िए। 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध दीजिए। बच्चे को धुएं से दूर रखिए।

बुजुर्गों के परिवार से अपील -

> स्मॉग वाले दिन दादा-दादी को बाहर टहलने मत भेजिए। उनकी सांस फूल रही हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए।

स्कूल और आंगनबाड़ी से अपील -

> बच्चों को हाथ धोना और खांसी में मुंह ढकना रोज सिखाइए। यही छोटी आदत बड़ी बीमारी से बचाएगी।

समाज से अपील -

> बच्चे के सामने बीड़ी-सिगरेट मत पीजिए। आपका एक कश, बच्चे के फेफड़ों पर सालों का बोझ बन सकता है।

इस सर्दी का संकल्प यही हो -

> टीका पूरा, दूध पूरा, हाथ साफ, धुआं दूर, इलाज समय पर - तो निमोनिया दूर।

- संपादकीय विभाग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक
- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक

नोट : यह लेख विश्व निमोनिया दिवस पर हेल्थ केयर - हेल्दी हैबिट्स के सामान्य स्वास्थ्य सुझावों पर आधारित है। यह चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है।

पर्यावरण प्रदूषणः समाधान खोजने के बजाय एक-दूसरे पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति

डॉ. विजय गर्ग

पर्यावरण प्रदूषण आज के समाज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। हवा, पानी और मिट्टी लगातार प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य, वन्यजीवों और प्रकृति के संतुलन को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन इस बढ़ते संकट का मिलकर समाधान खोजने के बजाय सरकारें, उद्योग, किसान और आम नागरिक एक-दूसरे को दोष देने में लगे हुए हैं।

जब वायु गुणवत्ता खराब होती है तो उद्योग वाहन प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराते हैं, वाहन चालक कारखानों पर उंगली उठाते हैं और अधिकारी पराली जलाने के लिए किसानों को दोषी मानते हैं। दूसरी ओर किसान कहते हैं कि उनके पास फसल अवशेषों के निपटारे के लिए सस्ते और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। हर किसी के पास अपना तर्क है, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं।

आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से न तो हवा साफ हो सकती है और न ही नदियों का पानी शुद्ध। प्रदूषण किसी राजनीतिक सीमा, सामाजिक भेदभाव या आर्थिक हित को नहीं पहचानता। इसका दुष्प्रभाव सभी को झेलना पड़ता है, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को।

सरकारों की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण संबंधी कानूनों को सख्ती से लागू करें, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करें, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दें और कचरे के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करें। उद्योगों को स्वच्छ तकनीक अपनानी चाहिए और अपशिष्ट पदार्थों का जिम्मेदारी से निपटान करना चाहिए। किसानों को केवल दोष देने के बजाय उन्हें सस्ती मशीनरी और पराली प्रबंधन के व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध करवाने चाहिए।

आम नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अनावश्यक वाहन उपयोग से बचना, सार्वजनिक परिवहन अपनाना, बिजली बचाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, घरेलू कचरे को अलग-अलग करना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना ऐसे छोटे कदम हैं, जिनसे बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।



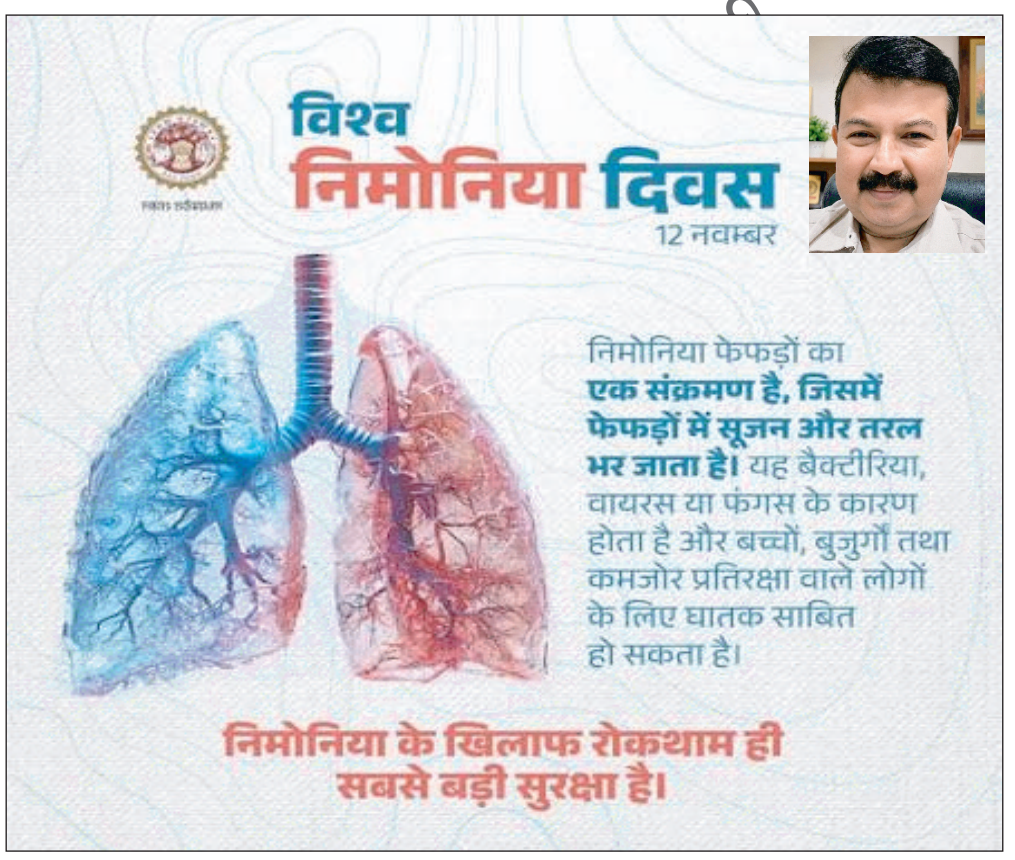
पर्यावरण संरक्षण केवल भाषणों, बैठकों, अस्थायी अभियानों या राजनीतिक आरोपों से संभव नहीं है। इसके लिए निरंतर निगरानी, कानूनों का सख्ती से पालन, जनभागीदारी और हर स्तर पर जवाबदेही आवश्यक है।

असली सवाल यह नहीं है कि प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, बल्कि यह है कि इसे कम करने के लिए हम स्वयं क्या कर रहे हैं। दूसरों को दोष देने से कुछ समय के लिए संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन इससे हमें स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और स्वस्थ भविष्य नहीं मिल सकता।

अब समय आ गया है कि आरोप लगाने का खेल बंद करके ठोस कार्रवाई शुरू की जाए। पर्यावरण की रक्षा किसी एक व्यक्ति या संस्था का कर्तव्य नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल। शिक्षाविद्। प्रख्यात वैज्ञानिक स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर. मलोट, पंजाब

विश्व निमोनिया दिवसः डॉ. रूप कुमार बनर्जी ने बताए निमोनिया से बचाव और रिकवरी के अचूक उपाय



परिवहन विशेष न्यूज

गोरखपुर। विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर गोरखपुर के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. रूप कुमार बनर्जी ने इस गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुझाव साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि निमोनिया फेफड़ों का एक खतरनाक संक्रमण है, जिससे बचाव के लिए जागरूकता और सही जीवनशैली अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि निमोनिया से उबरने के बाद शरीर कमजोर रहता है, इसलिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें और धीरे-धीरे हल्की सैर व प्राणायाम शुरू करें।

फेफड़ों की मरम्मत के लिए प्रोटीन (दालें, पनीर), विटामिन C (नींबू, आंवला) और एंटीऑक्सीडेंट्स (हरी सब्जियां) को आहार में शामिल करें। ठंडे पेय और जंक फूड से पूरी तरह परहेज करें। धूम्रपान से बचें और प्रदूषित हवा वाले स्थानों पर N95 मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। घर के अंदर भी धुआं कम करने का प्रयास करें। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करें। बलगम की समस्या होने पर भाप लेना (स्टीम इनहेलेशन) फायदेमंद होता है। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं का कोर्स बीच में न छोड़ें और नियमित फॉलो-अप कराएं। संक्रमण से बचने के लिए बार-बार हाथ धोएं और भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूरी बनाए रखें। डॉ. बनर्जी ने अंत में संदेश दिया कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और तनाव मुक्त रहना भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है।

विविधता में एकता: भाषा, आस्था और मानवीय चेतना का दार्शनिक सच।

ईश्वर और अल्लाह एक, केवल भाषा और संस्कृति का अंतर है ।

हरिओम बाजपेई



नादान' ✍पीलीभीत। समाज में बढ़ते वैमनस्य और वैचारिक मतभेदों के बीच सामाजिक चिंतक हरिओम बाजपेई 'नादान' ने धर्म, आस्था और मानवीय मूल्यों को लेकर एक अत्यंत गंभीर और दार्शनिक दृष्टिकोण समाज के सामने रखा है। उनका स्पष्ट मानना है कि इस संपूर्ण सृष्टि का संचालक परमात्मा एक ही है, जिसे मनुष्य ने अपनी-अपनी भाषा, संस्कृति और भौगोलिक सीमाओं के आधार पर ईश्वर, अल्लाह या अन्य नामों से पुकारना शुरू कर दिया है।

अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए नादान' कहते हैं कि दुनिया का कोई भी धर्मग्रंथ, धर्मगुरु, बुद्धिजीवी या राजनेता यह प्रमाणित नहीं कर सकता कि हिंदुओं का भगवान और मुसलमानों का अल्लाह अलग अलग हैं। उनके अनुसार, अंतर केवल भाषा और प्रार्थना की पद्धति का है। यदि किसी ने संस्कृत में प्रार्थना की तो वह हिंदू कहलाया और किसी ने अरबी या अन्य भाषा में इबादत की तो उसकी पहचान अलग हो गई। वास्तविकता यह है कि परम सत्ता एक ही है, लेकिन अज्ञानता और संकीर्ण मानसिकता के कारण लोगों ने भाषाओं और बाहरी आडंबरों को ही धर्म मान लिया है राजनीति और धर्म के घालमेल पर कटाक्ष करते हुए नादान श्री बाजपेई ने कहा कि आज के दौर में लोगों ने पदों और राजनीतिक विचारधाराओं को धर्म से जोड़ दिया है, जो समाज के लिए घातक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदुत्व एक व्यापक जीवनशैली और दर्शन है, जो किसी से अलग नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल, नेता या किसी महात्मा के व्यक्तिगत आचरण अथवा नीतियों से कोई आपत्ति है, तो उसे उस व्यक्ति विशेष या उसकी गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए। किसी व्यक्ति की गलती के कारण पूरे धर्म, संस्कृति या समाज को कठघरे में खड़ा करना विवेकहीनता है आध्यात्मिक गहराई पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि नासमझ प्राणी उस परमपिता को केवल मंदिर और मस्जिद की दीवारों के भीतर ही खोजता रहता है, जबकि वह परमात्मा तो आत्मा के रूप में स्वयं हर मनुष्य के भीतर विराज मान है। यदि मनुष्य एक बार अपने भीतर झांककर उस एक ही परम सत्ता को पहचान ले, तो संसार से नफरत और भेदभाव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

संविधान और कानून की दृष्टि में सामाजिक सद्भाव नादान' के ये विचार भारतीय संविधान की मूल भावना के पूर्णतः अनुरूप हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अंतः करण की स्वतंत्रता और अपने धर्म के पालन का मौलिक अधिकार देता है, साथ ही देश का कानून किसी भी प्रकार के धार्मिक वैमनस्य या नफरत फैलाने वाले वक्तव्यों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाता है समाज के प्रबुद्ध वर्ग का भी मानना है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश बिना किसी भेदभाव के हर घर को रोशन करता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक चेतना भी संपूर्ण मानवता के लिए समान है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि धर्म को राजनीति और स्वार्थ का माध्यम बनाने के बजाय प्रेम, करुणा और भाईचारे का आधार बनाया जाए, जिससे एक शांत, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सके।



धन और रिश्तों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल

जानिए दिन की ऊर्जा • संभालिए धन • मजबूत बनाइए रिश्ते

13 नवंबर 2026 | दिन का अंक: 7 — चिंतन, शोध, अंतर्ज्ञान और स्पष्टता

मूलांक 1
धन व करियर: दिन 7 में नेतृत्व से पहले किसी प्रस्ताव की गहराई से जांच करें। लागत और अनुमान की समीक्षा आपका अगला कदम मजबूत करेगी।
रिश्ते: समाधान देने से पहले सुनें; शांत बातचीत से साथी की वास्तविक जरूरत समझ आएगी।
सावधानी: जल्दी जवाब का दबाव न बनाएं और अलग राय को विरोध न मानें।
दिन बेहतर बनाएं: एक महत्वपूर्ण तथ्य की पुष्टि करके ही निर्णय लें।

मूलांक 2
धन व करियर: अंतर्ज्ञान किसी छूटे खर्च की ओर संकेत कर सकता है, लेकिन धन लगाने से पहले रिकॉर्ड जांचें।
रिश्ते: अपनी भावनाएं स्पष्ट बताएं; केवल चुप्पी से समझे जाने की अपेक्षा न रखें।
सावधानी: अनिश्चितता को व्यक्तिगत न लें और सहानुभूति में उधार देने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक स्पष्ट सवाल पूछें और नरम लेकिन मजबूत सीमा तय करें।

मूलांक 3
धन व करियर: दिन 7 प्रचार से अधिक शोध और सुधार के अनुकूल है। रचनात्मक काम को प्रस्तुत करने से पहले उसकी गुणवत्ता बढ़ाएं।
रिश्ते: व्यस्त सामाजिक कार्यक्रम से अधिक एक सच्ची और विचारपूर्ण बातचीत असर करेगी।
सावधानी: ध्यान भटकने, सतही वादों और ध्यान पाने के लिए खर्च से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक अच्छे विचार को बिना व्यवधान समय दें।

मूलांक 4
धन व करियर: आपकी व्यवस्थित सोच दिन 7 के अनुकूल है। बजट, समझौते या प्रक्रिया की जांच कर एक छिपी कमजोरी पहचानें।
रिश्ते: व्यक्तिगत चिंता को आलोचना या पूछताछ में न बदलें।
सावधानी: पूर्णता की जिद और हर अनिश्चितता मिटने तक निर्णय रोकने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: समीक्षा के आधार पर एक व्यावहारिक सुधार करें।

मूलांक 5
धन व करियर: नई डील की जल्दबाजी रोकें। धन लगाने से पहले शर्तों की तुलना करें और अनजान अवसर पर शोध करें।
रिश्ते: स्वतंत्रता या एकांत की जरूरत स्पष्ट बताएं; बिना सूचना योजना न बदलें।
सावधानी: आवेग में बुकिंग, जोखिमपूर्ण खर्च और गोपनीय बातें सहजता से साझा करने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक जल्दबाजी वाला निर्णय जानकारी जुटाकर लें।

मूलांक 6
धन व करियर: घर या क्लाइंट से जुड़े खर्च का वास्तविक मूल्य समझें। दिन 7 विलासिता से अधिक सोच-समझकर चुनाव करने का है।
रिश्ते: हर भावना को उपहार से ठीक करने के बजाय ध्यान से सुनें।
सावधानी: आराम के लिए खरीदारी और देखभाल के नाम पर स्वयं को थकाने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक नियमित खर्च जांचें और दिल से बातचीत के लिए समय दें।

मूलांक 7
धन व करियर: आपके मूलांक 7 और दिन 7 की ऊर्जा मिलकर चिंतन व विशेष शोध को बल देती है। अपनी समझ को व्यावहारिक योजना बनाएं।
रिश्ते: एकांत की जरूरत बढ़ सकती है; गलतफहमी रोकने के लिए इसे प्यार से समझाएं।
सावधानी: अलगाव, संदेह और बिना कदम उठाए लगातार विश्लेषण से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक महत्वपूर्ण समझ और उसका अगला ठोस कदम लिखें।

मूलांक 8
धन व करियर: दिन 7 गहरी जांच का संकेत देता है। अधिकार या धन लगाने से पहले निवेश जोखिम, कॉन्ट्रैक्ट और दीर्घकालिक दायित्व दोबारा देखें।
रिश्ते: हर असहमति को नियंत्रित करने के बजाय भावनाओं को भी जगह दें।
सावधानी: गुप्त आर्थिक फैसले, कठोर निर्णय और दबाव बनाने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: स्वतंत्र तथ्य जुटाएं और धैर्य से प्रतिक्रिया दें।

मूलांक 9
धन व करियर: सोचें कि समय और धन किस उद्देश्य में सचमुच उपयोगी हैं। नई मदद से पहले पुराना दायित्व पूरा करें।
रिश्ते: पुरानी चोट पर फिर टकराने के बजाय शांत बातचीत उपयोगी होगी।
सावधानी: अपराधबोध में उदारता और बिना उद्देश्य पुराना विवाद खोलने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक अधूरा काम पूरा करें और अनावश्यक बोझ छोड़ें।

कॉल / व्हाट्सऐप: 8750075550 | वेबसाइट: www.vediccodes.in | @vediccodes

Vediccodes - Your vibrations... our solutions

पाकुड़ में छठ महापर्व की तैयारियां तेज - तीन बांग्ला पोखर घाट सजकर तैयार, दीवारों पर त्रिशूल और उगते सूर्य की पेंटिंग

सुबह 7 बजे से दिन-रात जुटे हैं समिति के लोग, 13 नवंबर तक पूरा होगा सजावट का काम - शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल

रिपोर्ट : परिवहन विशेष समाचार पत्र - पाकुड़ / जनहित डेस्क पाकुड़।

लोग आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। शहर के विभिन्न छठ घाटों पर साफ-सफाई, सजावट और लाइटिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। घाटों को आकर्षक बनाने के लिए समितियों के लोग दिन-रात जुटे हुए हैं।

खासकर शहर के तीन बांग्ला पोखर घाट पर विशेष सजावट की जा रही है। पोखर की दीवारों पर रंग-बिरंगी पेंटिंग के जरिए त्रिशूल और उगते सूर्य की आकृतियां बनाई जा रही हैं। 13 नवंबर तक सजावट का काम पूरा करने का लक्ष्य है। छठ की तैयारियों के बीच पूरे शहर में उत्साह और भक्ति का माहौल है।

मुख्य तथ्य - एक नज़र में

- जिला: पाकुड़, झारखंड
- पर्व: आस्था का महापर्व छठ, 4 दिन का पर्व
- मुख्य घाट: तीन बांग्ला पोखर घाट, शहर के विभिन्न छठ घाट
- काम: साफ-सफाई, सजावट, लाइटिंग, पेंटिंग
- विशेष सजावट: पोखर की दीवारों पर त्रिशूल, स्वास्तिक और उगते सूर्य की आकृतियां
- लक्ष्य: 13 नवंबर तक सजावट का काम पूरा
- काम करने वाले: समिति के लोग, तीन-तीन लोगों की टोली
- काम का समय: सुबह लगभग 7 बजे से शुरू, समापन अगले शनिवार 14 नवंबर तक

1. तीन बांग्ला पोखर घाट पर विशेष सजावट - क्या-क्या हो रहा है ? तीन बांग्ला पोखर घाट इस बार पाकुड़ का सबसे आकर्षक घाट बनने जा रहा है।

घाट पर हो रहे काम:

1. साफ-सफाई: पोखर और घाट के आसपास की गंदगी हटाई जा रही है, पानी की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है
2. पेंटिंग: पोखर की दीवारों पर रंग-बिरंगी पेंटिंग हो रही है
3. त्रिशूल की आकृति: दीवारों पर त्रिशूल की आकृतियां बनाई जा रही हैं
4. स्वास्तिक की आकृति: शुभता के प्रतीक स्वास्तिक की आकृतियां बनाई जा रही हैं
5. उगते सूर्य की तस्वीर: छठ का सबसे बड़ा प्रतीक - उगता हुआ सूर्य - दीवारों पर उकेरा जा रहा है
6. लाइटिंग: रात में घाट जगमगाए, इसके लिए लाइटिंग का काम जारी है

> उगते सूर्य की तस्वीर से संवरेगा घाट - यही इस बार की सबसे बड़ी पहचान होगी।

समिति के लोगों का कहना है - घाट सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, यह आस्था का केंद्र है। इसलिए इसे ऐसा सजाया जा रहा है कि व्रती और श्रद्धालु आते ही भक्ति में डूब जाएं।

2. सुबह 7 बजे से काम, 3-3 लोगों की टोली - समिति की मेहनत घाट पर काम करने वाले एक कार्यकर्ता ने बताया -

> यहाँ पर छठ घाट की तैयारी हो रही है। हम लोग आज लगभग सात बजे से काम चल रहा है और हम लोग शनिवार को समापन कर देंगे, अगले शनिवार को माने 14 तारीख को पूरा तैयारी कर रहे हैं।

> कितना आदमी मिलकर ? हम लोग तीन-तीन आदमी।

मतलब साफ है - बड़ी मशीन या बड़ा बजट नहीं, छोटी टोली, बड़ी श्रद्धा से घाट सज रहा है।

तीन-तीन लोगों की टोली सुबह से ही पेंट, ब्रश, बांस-बल्ला और लाइट लेकर घाट पर जुट जाती है। कोई दीवार पर पेंट कर रहा है, कोई बांस का ढांचा बना रहा है, कोई लाइट की वायरिंग देख रहा है।

यही तो छठ की असली परंपरा है - श्रमदान ही सबसे बड़ी सेवा है।

3. छठ महापर्व की तिथियां - 4 दिन का पूरा कार्यक्रम पाकुड़ में इस बार छठ का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार है:

दिन	तिथि	पर्व
पहला दिन	13 नवंबर 2026	नहाय-खाय
दूसरा दिन	14 नवंबर 2026	खरना
तीसरा दिन	15 नवंबर 2026	संध्या अर्घ्य - डूबते सूर्य को अर्घ्य
चौथा दिन	16 नवंबर 2026	उषा अर्घ्य और पारण - उगते सूर्य को अर्घ्य

पहला दिन - नहाय-खाय, 13 नवंबर: व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। इसी दिन से व्रत की शुरुआत मानी जाती है।

दूसरा दिन - खरना, 14 नवंबर:

दिन भर निर्जला व्रत के बाद शाम को खीर-रोटी का प्रसाद बनता है। इसी दिन से 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू होता है।

तीसरा दिन - संध्या अर्घ्य, 15 नवंबर:

व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यही छठ का सबसे बड़ा दृश्य होता है - हजारों लोग पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं।

चौथा दिन - उषा अर्घ्य और पारण, 16 नवंबर:

सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण होता है।

4. शहर के विभिन्न घाटों पर चल रही सफाई - सिर्फ एक घाट नहीं

तीन बांग्ला पोखर घाट पर विशेष सजावट हो रही है, लेकिन शहर के विभिन्न घाटों पर भी साफ-सफाई का काम चल रहा है।

हर घाट समिति अपने-अपने घाट को साफ कर रही है।

- घाट की सीढ़ियों की सफाई
- पानी में जमी गंदगी हटाना
- आने-जाने के रास्ते की सफाई
- बैठने और अर्घ्य देने की जगह बनाना
- लाइट और टेंट की व्यवस्था

पाकुड़ में छठ सिर्फ एक घाट का पर्व नहीं है, यह पूरे शहर का पर्व है। हर मोहल्ले, हर वार्ड के लोग अपने नजदीकी घाट पर जुटते हैं।

5. छठ क्यों है आस्था का महापर्व ? - जो नए पाठक हैं, उनके लिए

छठ महापर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और अब पूरे देश में मनाया जाता है।

इसकी 3 बड़ी विशेषताएं हैं:

1. सूर्य की पूजा: छठ में डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह एकमात्र पर्व है, जिसमें डूबते सूर्य की भी पूजा होती है।
2. छठी मैया की पूजा: संतान, परिवार की सुख-समृद्धि और मनोकामना के लिए छठी मैया की पूजा होती है।
3. साफ-सफाई और शुद्धता: छठ में शुद्धता सबसे बड़ी चीज है। व्रती बिना जूते-चप्पल, शुद्ध मन से घाट पर जाते हैं। घर से लेकर घाट तक सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है।

यही कारण है कि घाट की सफाई को पूजा का ही हिस्सा माना जाता है। घाट गंदा होगा, तो पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए समिति के लोग सफाई को सेवा समझकर कर रहे हैं।

6. व्रती और श्रद्धालुओं के लिए जरूरी अपील - जनहित में

व्रती परिवारों के लिए:

- घाट पर समय से पहुंचें, भीड़ में धक्का-मुक्की न करें
- बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें
- प्लास्टिक और पॉलीथिन घाट पर न फेंकें, पोखर को गंदा न करें

समितियों और प्रशासन के लिए:

- घाट पर पर्याप्त लाइट, पेयजल और बैठने की व्यवस्था हो
- गहरे पानी वाले हिस्से में बैरिकेडिंग और गोताखोर / वॉलिंटियर तैनात रहें
- एंबुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रहे
- भीड़ के लिए आने-जाने का अलग-अलग रास्ता हो

शहर के लोगों के लिए:

- छठ के 4 दिन घाट के आसपास वाहन धीरे चलाएं
- लाउडस्पीकर का शोर व्रती के आराम में बाधा न बने, इसका ध्यान रखें
- अगर आप घाट पर नहीं जा रहे हैं, तो भी सफाई में सहयोग करें

संपादकीय निष्कर्ष - जनहित में हमारी अपील

पाकुड़ का तीन बांग्ला पोखर घाट इस बार सिर्फ पेंटिंग से नहीं सज रहा है, यह श्रद्धा से सज रहा है।

समिति के लोगों को सलाम -

> जो सुबह 7 बजे से तीन-तीन लोगों की टोली में घाट को सजा रहे हैं, वे किसी ठेकेदार के मजदूर नहीं हैं, वे आस्था के सेवक हैं।

शहर के लोगों से अपील -

> घाट को सजाना समिति का काम है, घाट को साफ रखना हम सबका काम है।

व्रती माताओं-बहनों को प्रणाम -

> 36 घंटे का निर्जला व्रत, कड़ी साधना और परिवार के लिए प्रार्थना - यही छठ की असली शक्ति है।

उगते सूर्य की तस्वीर दीवार पर बन रही है, लेकिन असली उगता सूर्य तो 16 नवंबर की सुबह घाट पर दिखेगा - जब हजारों हाथ एक साथ अर्घ्य के लिए उठेंगे।



संत शिरोमणि पंडित जानकी प्रसाद शर्मा की पुण्य स्मृति में तीन दिवसीय अखंड पाठ एवं विशाल भंडारे के साथ धार्मिक आयोजन संपन्न

रात्रिकालीन भजन-सत्संग में गूंजी संत कबीरदास जी की अमृतमयी वाणी, साधु-संतों और श्रद्धालुओं ने लिया आध्यात्मिक आनंद

इकतारा बजाकर संत कबीरदास जी की वाणी का सत्संग करते थे दादाजी, आज भी परिवार निभा रहा उनकी आध्यात्मिक परंपरा : डॉ. अरविंद शर्मा

कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने परिवार सहित संत-महापुरुषों का लिया आशीर्वाद, विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं को वितरित किया प्रसाद

माता बिमला देवी, धर्मपत्नी डॉ. रीटा शर्मा सहित परिवार के सदस्यों ने धार्मिक अनुष्ठान में की शिरकत

दादाजी के संस्कार और आदर्श हमारे परिवार की अमूल्य धरोहर, जनसेवा ही सच्ची प्रभु सेवा : डॉ. अरविंद शर्मा













झज्जर, 12 नवंबर। हरियाणा के सहकारिता, कारागार, पर्यटन एवं विरासत मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा के दादाजी परम पूज्य संत शिरोमणि पंडित जानकी प्रसाद शर्मा की पुण्य स्मृति में आयोजित तीन दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम बृहस्पतिवार को संत गरीबदास महाराज की पावन वाणी के अखंड पाठ की पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारे के साथ श्रद्धा पूर्वक संपन्न हो गया। इससे पूर्व रात्रिकालीन भजन-सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें संत कबीर दास जी की अमृतमयी वाणी और भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु-संतों, श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों ने शिरकत कर संत-महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने अपनी माता बिमला देवी, धर्मपत्नी डॉ. रीटा शर्मा सहित परिवार के सभी सदस्यों के साथ धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया। परिवार के सदस्यों ने संत-महापुरुषों का आदर-सत्कार किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अखंड पाठ की पूर्णाहुति के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा और परिवार के सदस्यों ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर सेवा की।

कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि उनके पूजनीय दादाजी संत शिरोमणि पंडित जानकी प्रसाद शर्मा का संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक चिंतन, समाज सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनका संत कबीर दास जी की वाणी और आध्यात्मिक चिंतन से गहरा लगाव था। वे स्वयं इकतारा बजाकर संत कबीर दास जी की अमृतमयी वाणी का सत्संग किया करते थे और लोगों को सत्य, सादगी, सदाचार, प्रेम तथा मानव सेवा का संदेश देते थे। उनके सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे। डॉ. शर्मा ने कहा कि दादाजी के इकतारे की मधुर धुन और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं की स्मृतियां आज भी परिवार के लिए अनमोल धरोहर हैं। उन्हीं के आदर्शों और संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए परिवार प्रतिवर्ष उनकी पुण्य स्मृति में अखंड पाठ, भजन-सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन करता है।

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि संत कबीरदास जी और संत गरीबदास महाराज की वाणी मानवता, प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश देती है। संत-महापुरुषों की शिक्षाएं समाज को एकजुट रखने और नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों का वास्तविक उद्देश्य समाज में सद्भाव बढ़ाना और जरूरतमंदों की सेवा के लिए प्रेरित करना है। जन सेवा ही सच्ची प्रभु सेवा है और यही संस्कार उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिले हैं।

उन्होंने कहा कि उनके दादाजी ने हमेशा जाति-पाति, ऊंच-नीच और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने का संदेश दिया। उनके जीवन का मूल मंत्र सादगी, परोपकार और समाज कल्याण रहा। परिवार का प्रत्येक सदस्य उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हुए जनसेवा के कार्यों में योगदान देने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वजों की शिक्षाएं केवल स्मृतियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने आचरण और व्यवहार में उतारना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि परिवार द्वारा वर्षों से निभाई जा रही इस धार्मिक परंपरा को भविष्य में भी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जारी रखा जाएगा। ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिलता है। संत कबीर दास जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी उनके समय में थीं। समाज में प्रेम, सद्भाव और आपसी विश्वास को मजबूत बनाना ही संत-महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धा है।

रात्रिकालीन भजन-सत्संग में गूंजी कबीर दास जी की वाणी, विशाल भंडारे में उमड़े श्रद्धालु

तीन दिवसीय आयोजन के दौरान संत गरीबदास महाराज की पावन वाणी का निरंतर पाठ किया गया। समापन से पूर्व आयोजित रात्रिकालीन भजन-सत्संग में संत कबीर दास जी की अमृतमयी वाणी और भजनों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। संत-महापुरुषों ने श्रद्धालुओं को सत्य, सदाचार, परोपकार और मानव सेवा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। बृहस्पतिवार को अखंड पाठ की पूर्णाहुति के बाद आयोजित विशाल भंडारे में साधु-संतों और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने आयोजन में पहुंचे सभी संत-महापुरुषों, श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी का स्नेह और आशीर्वाद परिवार को समाज सेवा के कार्यों के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा।

जनसमस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहे समाधान शिविर : डीसी





जिला स्तरीय समाधान शिविर में डीसी वर्षा खांगवाल ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं

झज्जर,12 नवम्बर।

आमजन की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी सजगता व गंभीरता के साथ कार्यकर रहा है। जिला व उपमंडल स्तर पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए प्रभावी मंच साबित हो रहे हैं। यह बात डीसी वर्षा खांगवाल ने गुरुवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित समाधान शिविर में जनसुनवाई के दौरान कही। उन्होंने शिविर में पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनसमस्याओं का आपसी समन्वय से समाधान करें अधिकारी

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों की लगातार निगरानी की जा रही है। अब तक प्राप्त अधिकांश शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि लंबित शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों को केवल दर्ज करने तक सीमित न रखें, बल्कि उनके समाधान की प्रक्रिया पर भी नियमित नजर रखें।

जनसेवा को प्राथमिकता दे रही सरकार: डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को आयोजित होने वाले समाधान शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरल और प्रभावी माध्यम उपलब्ध करवाना है। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित रहते हैं, जिससे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय की भावना के साथ जनसेवा को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना जाए तथा उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान करना ही उद्देश्य

डीसी ने कहा कि समाधान शिविरों का उद्देश्य केवल शिकायतों को सुनना नहीं, बल्कि नागरिकों को प्रभावी समाधान उपलब्ध करवाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए निर्धारित समय में कार्रवाई पूरी करें।

परिवार पहचान पत्र और पेंशन से जुड़े मामले पहुंचे

समाधान शिविर में नागरिक परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचे। इसके अलावा पुलिस विभाग से जुड़े मामलों को भी नागरिकों ने अधिकारियों के समक्ष रखा। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक मामले की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कई मामलों में मौके पर ही आवश्यक समाधान सुनिश्चित किया गया।

यह अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद मनीष फौगाट, डीडीपीओ निशा तंवर, सिंचाई विभाग से एक्सईएन खिवलेश भारद्वाज, एमीनेन्ट पर्सन सुरेंद्र शर्मा, एएफएसओ अमरजीत सिंह, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

एकजुटता से ही सर्वांगीण विकास सम्भव : धर्मवीर प्रजापति

झज्जर में दक्ष प्रजापति समाज ने पगड़ी बांधकर किया यूपी के राज्यमंत्री का सम्मान

धर्मवीर प्रजापति बोले- माटी कला को प्रोत्साहन दे रही सरकार





झज्जर, 12 नवंबर।

उत्तर प्रदेश के नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति गुरुवार को झज्जर पहुंचे, जहां दक्ष प्रजापति समाज की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान वार्ड-15 के पार्षद नरेश प्रजापति ने समाज की ओर से राज्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। समाज के लोगों ने उनका स्वागत करते हुए सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया।

इस अवसर पर राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि दक्ष प्रजापति समाज के लोगों ने उन्हें जो मान-सम्मान और स्नेह दिया है, उसे वे कभी नहीं भुला पाएंगे। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा के अलावा उत्तराखंड, पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में प्रवास के दौरान समाज के लोगों से मिलते रहते हैं। समाज के लोगों का एक मंच पर एकत्रित होना आपसी मेलजोल बढ़ाने के साथ सामाजिक विषयों पर चर्चा करने का भी अच्छा अवसर होता है।

उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना से ही समाज को तरक्की की दिशा में आगे ले जाया जा सकता है। सामाजिक विकास के साथ-साथ हमें देश की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को भी सहेज कर रखना होगा। उन्होंने कहा कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक कला एवं शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। इसी कड़ी में माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है, जिससे माटी कला से जुड़े लोगों को अपनी कला को आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने समाज के लोगों से पारंपरिक हुनर को संरक्षित करने और नई पीढ़ी को इससे जोड़ने का आह्वान किया।

ये गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद

इस अवसर पर नायब तहसीलदार अंशुल, अवार्डी इंद्रपाल खोहाल, दिनेश कुमार प्रजापति, रामचंद्र गंगवा, ओमप्रकाश प्रजापति, सचेत कुमार, सुरेंद्र प्रधान, धर्मपाल, प्रेम, सुरजन, सूरजभान, रामकरण और सतपाल सहित दक्ष प्रजापति समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक 14 को

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता

झज्जर, 12 नवम्बर।

आमजन की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से गठित जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक शनिवार 14 नवम्बर को सुबह 11 बजे लघु सचिवालय स्थित संवाद भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य, वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह करेंगे।

सीटीएम ऋचु ने गुरुवार को बताया कि जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक आमजन की समस्याओं के समाधान का एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां जनहित से जुड़े मामलों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 15 परिवाद रखे जाएंगे। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को बैठक में निर्धारित समय पर उपस्थित रहने और परिवादों से संबंधित पूर्ण जानकारी के साथ भाग लेने के निर्देश दिए हैं, ताकि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं स्थायी समाधान किया जा सके।

फेस ऑथेंटिकेशन से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराएं पेंशनभोगी : संजय फोगाट

जिला कोषाधिकारी संजय फौगाट ने जिलाभर के पेंशनभोगियों से किया आह्वान

झज्जर, 12 नवंबर।

जिलाभर के ऐसे पेंशनभोगी जो जिला खजाना कार्यालय से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वे स्मार्टफोन के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा का उपयोग कर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवा सकते हैं। यह आह्वान जिला खजाना अधिकारी संजय फोगाट ने पेंशनभोगियों से किया है।

उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए इस संबंध में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया को सरल, सुविधाजनक और परेशानी रहित बनाना है।

डीटीओ ने बताया कि जिला के सभी सहायक कोष अधिकारियों और पेंशन संबंधी कार्य करने वाले कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे पेंशनभोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा के बारे में जागरूक करें और डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र तैयार करने व जमा करवाने में उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करें।

उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा से पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाने में काफी सहूलियत मिलेगी। इससे उन्हें इस कार्य के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

पेंशनभोगियों से अभियान में भागीदारी की अपील

डीटीओ संजय फोगाट ने सभी पेंशनभोगियों से अपील की कि वे इस अभियान का लाभ उठाते हुए अपने स्मार्टफोन के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा अपनाएं और डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी अधिक से अधिक पेंशन भोगियों तक इस सुविधा की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए, ताकि अभियान का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सके।

नशा खत्म तो 90% अपराध खत्म - सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय का दावा, कानून बदलो तो 1 साल में भारत नशामुक्त

ड्रग बनाना-बेचना संगठित अपराध, आतंकवाद और देश के खिलाफ युद्ध घोषित हो - BNS, NSA, UAPA और NDPS में बदलाव का पूरा ड्राफ्ट

रिपोर्ट : परिवहन विशेष समाचार पत्र - विधि / जनहित डेस्क

कई देशों में नशे का नामोनिशान नहीं है और हमारे यहाँ हर गाँव में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में ऑनलाइन नशा बिक रहा है। आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, आर्डर करिए, व्हाट्सएप पे आर्डर करिए और घर पहुंच रहा है, डोर डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है।

यह बात सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपने ताजा वीडियो संदेश में कही है। उनका दावा है

>एक साल के अंदर भारत से नशे का नामोनिशान मिट जाएगा। ना भारत में कोई नशा बेचेगा, ना कोई नशा नशे को एक्सपोर्ट करेगा, ना कोई ड्रग का यहाँ होलसेलर बचेगा, ना कोई ड्रग का डीलर बचेगा। एक साल के अंदर भारत में ना ड्रग बिकेगी, ना ड्रग बनेगी, कहीं ड्रग दिखेगी नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ।

>100% नहीं तो 90% नशा कारोबार खत्म करने की मैं गारंटी लेता हूँ।

यह लेख उनके उसी बयान, उनके प्रस्ताव और उसके कानूनी मतलब को जनहित में पूरी तरह प्रस्तुत करता है। यह कोई बना हुआ कानून नहीं है, यह संसद से पास कराने का प्रस्ताव / मांग है।

मुख्य तथ्य - एक नज़र में

- किसने कहा: सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय

- मुख्य दावा: नशा खत्म होगा तो भारत से 90% अपराध खत्म हो जाएंगे

- समय सीमा का दावा: कानून बदलने पर 1 साल में 90% से 100% तक नशा कारोबार खत्म

- मौजूदा कानून: NDPS एक्ट 1985, भारतीय न्याय संहिता - BNS 2023, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून - NSA 1980, UAPA 1967, SC / ST एक्ट 1989

- प्रस्ताव: ड्रग बनाना-बेचना अब मामूली अपराध नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाए

- मॉडल: SC / ST एक्ट जैसी सख्त जांच, समयबद्ध कार्रवाई और सूचना देने वाले को इनाम की व्यवस्था

- लक्ष्य: नशा बनाने वाला, बेचने वाला, होलसेलर, डीलर, एक्सपोर्टर - पूरा नेटवर्क खत्म करना

1. नशा ही अपराध की जड़ क्यों? - उपाध्याय का तर्क

अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि सिर्फ नशाबंदी के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? ड्रग कारोबार खत्म करने के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही?

उनके अनुसार नशे के कारण हो रहा है:

- हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है

- लाखों लोग साल भर में गंभीर रूप से बीमार हो जा रहे हैं

- लाखों लोगों की अकाल मौत हो जा रही है

- नशेड़ी छोटी-छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं

- नशे के कारण व्यभिचार की घटनाएं बढ़ रही हैं

- नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, तो माता-पिता की हत्या कर देते हैं

- नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, तो पत्नी की हत्या कर देते हैं

- कई बार पत्नी का मंगलसूत्र बेच देते हैं, फिर नशा खरीदते हैं

>फिर नशा भारत के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही?

उनका सवाल है - जब नशा ही चोरी, हत्या, बलात्कार, घरेलू हिंसा, आत्महत्या और सड़क हादसों की जड़ बन रहा है, तो उसे सिर्फ एक नशा-विरोधी अभियान समझकर क्यों छोड़ दिया जाता है? उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा क्यों नहीं माना जाता?

2. सरकार से 3 बड़े सवाल - जो उन्होंने उठाए

अश्विनी उपाध्याय ने सरकार से सीधे 3 सवाल पूछे हैं:

1. सरकार ड्रग बनाने और ड्रग बेचने को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित क्यों नहीं कर रही है?

2. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट - NSA - में संशोधन क्यों नहीं किया जा रहा है?

3. ड्रग बनाने और ड्रग बेचने को अनलॉफुल एक्टिविटी क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है, UAPA में बदलाव क्यों नहीं किया जा रहा है?

उनका कहना है - अगर ड्रग कारोबार को ही राष्ट्र के खिलाफ अपराध मान लिया जाए, तो पुलिस, जांच एजेंसी और कोर्ट का पूरा रवैया बदल जाएगा। अभी इसे एक सामान्य मादक पदार्थ का केस समझा जाता है, इसलिए जमानत, देरी और कम सजा से कारोबारी बच निकलते हैं।

3. BNS में 4 बड़े बदलाव का प्रस्ताव - पूरा ड्राफ्ट

अश्विनी उपाध्याय ने कहा - अगर मुझे मौका मिले तो मैं सबसे पहले BNS में संशोधन करूंगा।

उन्होंने BNS की 4 धाराओं का नाम लिया:

BNS धारा	अभी क्या है	उपाध्याय का प्रस्ताव
धारा 111	संगठित अपराध - Organized Crime	ड्रग बनाने और ड्रग बेचने को संगठित अपराध घोषित कर दूंगा
धारा 113	आतंकवादी कृत्य - Act of Terrorism	ड्रग बनाने और ड्रग बेचने को *आतंकवादी कृत्य* घोषित कर दूंगा
धारा 147	युद्ध छेड़ना - Waging War	ड्रग बनाने और ड्रग बेचने को *देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना* घोषित कर दूंगा
धारा 152	भारत की संप्रभुता के लिए खतरा	ड्रग बनाने और ड्रग बेचने को भारत की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित कर दूंगा

मतलब साफ है:

अभी ड्रग बेचना एक अपराध है। प्रस्ताव के बाद ड्रग बेचना संगठित गिरोह का अपराध, आतंकवाद जैसा अपराध, देश के खिलाफ युद्ध जैसा अपराध माना जाएगा।

इससे क्या होगा?

- जमानत मिलना बहुत कठिन हो जाएगा

- जांच एजेंसियों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे

- संपत्ति जब्त करना आसान होगा

- सजा कड़ी होगी, डर पैदा होगा

4. NDPS एक्ट को बदलकर SC / ST एक्ट जैसा बनाओ - सबसे बड़ा प्रस्ताव

अश्विनी उपाध्याय का सबसे विस्तृत प्रस्ताव 1985 वाले NDPS एक्ट को लेकर है।

उन्होंने कहा -

>अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये जो 1985 वाला NDPS एक्ट है ना, इसको बदल के ये 1989 वाला जो SC / ST एक्ट है, सारे प्रावधान इसमें डाल दूंगा।

SC / ST एक्ट के कौन से 3 प्रावधान ड्रग कानून में लाने की मांग है?

1. सूचना देने वाले को तुरंत 1 लाख रुपये

जैसे SC / ST एक्ट में जो FIR करवाता है उसको तुरंत 1 लाख रुपये मिलता है ना, यही व्यवस्था कर दूंगा कि जो ड्रग कारोबारियों की सूचना देगा पुलिस को, नशा बेचने वालों की पुलिस को सूचना देगा या नशा बनाने वालों की सूचना देगा, उसको तुरंत 1 लाख रुपये मिलेगा।

इसका मकसद:

गाँव-मोहल्ले में सबको पता होता है कि नशा कहाँ बिक रहा है, कौन बेच रहा है। लेकिन लोग डर से बताते नहीं हैं। अगर सूचना देने वाले को तुरंत इनाम मिलेगा और नाम गुप्त रहेगा, तो हर गली से सूचना आएगी।

2. जांच सिपाही-दरोगा नहीं, ACP / DCP करेंगे

जैसे SC / ST एक्ट में प्रावधान है ना कि सिपाही-दरोगा जांच नहीं करेंगे, ACP, DCP जांच करेंगे और 2 महीने के अंदर जांच पूरी करेंगे।

उपाध्याय का प्रस्ताव है - NDPS में भी यही व्यवस्था हो।

- जांच छोटे स्तर पर नहीं, बल्कि ACP / DCP स्तर पर हो

- जांच 2 महीने के अंदर पूरी हो

- देरी से सबूत खराब नहीं होंगे, गवाह नहीं टूटेंगे

3. SP / DM मॉनिटरिंग करेंगे, ऊपर तक रिपोर्ट जाएगी

SC / ST एक्ट में SP, DM मॉनिटरिंग करते हैं और SP, DM, मुख्य सचिव और DGP को सूचना देते हैं।

यही व्यवस्था ड्रग कारोबार में कर दी जाए।

- SP / DM हर महीने समीक्षा करें

- मुख्य सचिव और DGP को जानकारी जाए

- कोई थाना प्रभारी केस को दबा न सके

5. NSA और UAPA में क्या बदलाव चाहते हैं?

वीडियो में उन्होंने NSA और UAPA की किताबें दिखाते हुए कहा -

NSA - राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980:

अभी NSA में किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानकर हिरासत में लिया जा सकता है। उपाध्याय चाहते हैं कि ड्रग बनाने-बेचने वाले को भी सीधे NSA के दायरे में लाया जाए, ताकि वह जमानत पर बाहर आकर फिर से धंधा न शुरू कर सके।

UAPA - गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967:

अभी UAPA आतंकवादी गतिविधियों के लिए है। उपाध्याय चाहते हैं कि ड्रग कारोबार को भी अनलॉफुल एक्टिविटी घोषित किया जाए, ताकि उसकी संपत्ति, फंडिंग और नेटवर्क पर UAPA जैसी सख्त कार्रवाई हो सके।

उनका तर्क:

>ड्रग का पैसा ही आतंकवाद, हथियार, हवाला और संगठित अपराध को पालता है। इसलिए ड्रग को आतंकवाद से अलग करके देखना ही गलती है।

6. 90% अपराध खत्म होने का दावा - कितना सही, कितना बहस का विषय?

उपाध्याय का तर्क सही कहाँ है?

- नशा सच में चोरी, लूट, घरेलू हिंसा, बलात्कार, सड़क हादसों और हत्या का एक बड़ा कारण है

- नशे के लिए पैसा जुटाने के लिए ही बहुत से छोटे अपराध होते हैं

- ड्रग माफिया का पैसा ही दूसरे अपराधों को पालता है

- अगर नशे की सप्लाई टूट जाए, तो नए नशेड़ी नहीं बनेंगे, पुराने इलाज की ओर जाएंगे

जहाँ बहस हो सकती है - संपादकीय संतुलन:

- 90% का आंकड़ा सरकारी आंकड़ा नहीं है, यह वक्ता का अनुमान / दावा है। भारत में सभी अपराधों का 90% सिर्फ नशे से जुड़ा है, इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं दिया गया है।

- शराब, गांजा, अफीम, चरस, स्मैक, कोकीन, सिंथेटिक ड्रग्स - सबका कानून, इलाज और सामाजिक कारण अलग-अलग हैं। एक ही कानून से सब खत्म नहीं होगा।

- सिर्फ सख्त कानून से नशा खत्म नहीं होता, नशा मुक्ति केंद्र, इलाज, पुनर्वास और रोजगार भी जरूरी है। नहीं तो नशेड़ी जेल से निकलकर फिर नशे में जाएगा।

- SC / ST एक्ट जैसी व्यवस्था में दुरुपयोग का खतरा भी रहता है। अगर 1 लाख रुपये के लालच में झूठी सूचना दी गई, तो निर्दोष फंस सकता है। इसलिए सूचना की जांच और गवाह की सुरक्षा दोनों जरूरी हैं।

- BNS की धारा 113 और 147 जैसे गंभीर आरोप हर छोटे ड्रग बेचने वाले पर लगाने से कोर्ट में केस कमजोर भी हो सकता है। कानून को बड़े तस्कर और छोटे उपभोक्ता में फर्क करना होगा।

इसलिए संपादकीय राय यह है:

>उपाध्याय की दिशा सही है - नशे को सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, सुरक्षा का मुद्दा मानना होगा। लेकिन सिर्फ सजा से नहीं, सख्त कानून + तेज जांच + इलाज + सूचना देने वाले की सुरक्षा - चारों एक साथ चलें, तभी 1 साल में बड़ा बदलाव दिखेगा।

7. आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है?

अगर यह प्रस्ताव कानून बन जाए, तो क्या बदलेगा?

1. गाँव-मोहल्ले में डर खत्म होगा: नशा बेचने वाला यह नहीं सोचेगा कि 2 महीने में जमानत मिल जाएगी।

2. सूचना देने वाला सुरक्षित होगा: 1 लाख रुपये का इनाम और नाम गुप्त रखने की व्यवस्था से लोग आगे आएंगे।

3. जांच में देरी नहीं होगी: ACP / DCP स्तर की जांच और 2 महीने की समय सीमा से केस लटकेंगे नहीं।

4. बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे: सिर्फ छोटे पुड़िया बेचने वाला नहीं, बल्कि होलसेलर, फंडिंग करने वाला और एक्सपोर्टर भी पकड़ा जाएगा।

5. नशेड़ी को इलाज मिलेगा: अगर कानून में नशेड़ी को अपराधी नहीं, बल्कि पीड़ित मानकर इलाज की व्यवस्था जुड़ जाए, तो परिवार टूटने से बचेंगे।

अगर कानून नहीं बदला, तो क्या होगा?

- व्हाट्सऐप पर ऑर्डर, होम डिलीवरी, ऑनलाइन नशा - यह नेटवर्क और बड़ा होगा

- नए-नए सिंथेटिक ड्रग्स बाजार में आएंगे

- युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा बर्बाद होगी

संपादकीय निष्कर्ष - जनहित में हमारी अपील

नशा सिर्फ एक व्यक्ति की बर्बादी नहीं है, यह पूरे परिवार, पूरे मोहल्ले और पूरे राष्ट्र की बर्बादी है।

सरकार से अपील -

>नशे पर सिर्फ भाषण नहीं, कानून बदलिए। NDPS, BNS, NSA, UAPA - चारों में एक साथ बदलाव कीजिए। जांच को तेज कीजिए, सूचना देने वाले को इनाम और सुरक्षा दीजिए।

समाज से अपील -

>नशा बेचने वाले को पड़ोसी समझकर चुप मत रहिए। एक सूचना किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी के बेटे की जान बचा सकती है।

नशेड़ी के परिवार से अपील -

>नशेड़ी को सिर्फ गाली मत दीजिए, उसे इलाज दिलाइए। सजा तस्कर को मिलनी चाहिए, इलाज नशेड़ी को।

अश्विनी उपाध्याय का 90% वाला दावा आंकड़ों में कितना सही है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उनका संदेश साफ है -

>नशा खत्म होगा, तभी अपराध खत्म होगा। नशा बचेगा, तो अपराध बढ़ेगा।

अब फैसला संसद को करना है - कानून की किताब बदलेगी या नशे का बाजार बढ़ता रहेगा?



2029 से पहले ही सियासी विदाई का संकेत! सरदा प्रसाद नायक की घोषणा ने राउरकेला की राजनीति में छेड़ी नई बहस

खुले मंच से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान महज व्यक्तिगत फैसला या बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत? घटता जनसंपर्क, उत्तराधिकारी की तलाश और विकास के अधूरे सवालों के बीच विधायक की सियासी पारी पर उठने लगे सवाल

रिपोर्टडा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत राउरकेला





राजनीति में किसी नेता का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान हमेशा सामान्य घोषणा नहीं होता। कभी यह व्यक्तिगत निर्णय होता है, तो कभी बदलते राजनीतिक समीकरणों, संगठनात्मक चुनौतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं का संकेत भी बन जाता है। राउरकेला के विधायक शारदा प्रसाद नायक द्वारा खुले मंच से 2029 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा ने शहर के राजनीतिक गलियारों में ऐसी ही बहस को जन्म दे दिया है।

सवाल यह है कि क्या यह एक लंबी राजनीतिक पारी के बाद सम्मानजनक विदाई की तैयारी है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक गणना काम कर रही है? लगातार जनाधार, संगठनात्मक विश्वसनीयता और नेतृत्व की स्वीकार्यता को लेकर उठने वाली चर्चाओं के बीच इस घोषणा को महज व्यक्तिगत निर्णय मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

राजनीति में उत्तराधिकारी घोषित करना भी उतना सरल नहीं, जितना मंच से किसी का नाम आगे बढ़ा देना। यदि किसी संभावित उत्तराधिकारी के राजनीतिक पाला बदलने की घटनाएं सामने आती हैं, तो यह संगठनात्मक पकड़ और नेतृत्व की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं। समर्थन का आश्वासन और वास्तविक जनसमर्थन दो अलग-अलग राजनीतिक कसौटियां हैं। बीते पकवाड़े इन्होने खुले मंच से जिस व्यक्ति को को नगर विधायक बनाने की बात की उन्होंने अगले कुछ सप्ताह मे ही किसी अन्य दल का सांगठनीक पद संभाल लिया जो किसी झटके से कम नहीं1

राउरकेला की राजनीति में एक बड़ा प्रश्न शहर के विकास का भी है। स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, नगरीय सुविधाओं, सड़क, पेयजल, जल निष्कासन और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों पर जनता की अपेक्षाएं आज भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। पूर्ववर्ती शासनकाल के विकास कार्यों, कथित अनियमितताओं और प्रशासनिक विफलताओं पर भी जवाबदेही की मांग उठती रही है। इन सवालों का राजनीतिक उत्तर केवल उपलब्धियों की सूची पेश करके नहीं दिया जा सकता, बल्कि जमीन पर उनका असर दिखाना होगा।

केंद्र और राज्य की योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल तथा स्थानीय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन भी शहर की बड़ी जरूरत है। आने वाले वर्षों में यदि लंबित परियोजनाओं, सरकारी खर्च और कथित अनियमितताओं से जुड़े तथ्य सामने आते हैं, तो उनका राजनीतिक असर संबंधित दल और संभावित प्रत्याशियों पर पड़ सकता है।

शारदा प्रसाद नायक अभी राउरकेला से बीजद के निर्वाचित विधायक हैं। ऐसे में 2029 से पहले चुनाव नहीं लड़ने की उनकी घोषणा को राजनीतिक विरासत सौंपने की पहल भी माना जा सकता है। लेकिन क्या उनके द्वारा प्रस्तावित उत्तराधिकारी को पार्टी और जनता का समान समर्थन मिलेगा, यह भविष्य ही बताएगा।

फिलहाल शहर में चर्चा का विषय केवल उनका चुनाव नहीं लड़ना नहीं, बल्कि यह भी है कि राउरकेला की अगली राजनीतिक पारी किसके हाथों में होगी। राजनीति में विदाई की घोषणा करना आसान है, लेकिन अपने पीछे विश्वसनीय नेतृत्व, मजबूत संगठन और विकास की संतुष्ट जनता छोड़कर जाना ही किसी जनप्रतिनिधि की असली उपलब्धि होती है।

माँ विंध्यवासिनी संस्था का पंचदिवसीय दीपावली उत्सव भव्यता के साथ संपन्न

विविध प्रतियोगिताओं के माध्यम से नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने का प्रयास

परिवहन विशेषन्यूज



लखनऊ। माँ विंध्यवासिनी ट्रस्ट लोक जागृति कार्यशाला समिति के तत्वावधान में आयोजित पंचदिवसीय दीपावली उत्सव हर्षोल्लास एवं भव्यता के साथ संपन्न हुआ। पांच दिनों तक चले इस आयोजन में दीपावली पर्व की महत्ता, भारतीय संस्कृति, पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं लोक संस्कारों पर आधारित विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत एवं गौरवशाली परंपराओं से जोड़ना तथा त्योहारों के वास्तविक सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व से परिचित कराना रहा। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा एवं सांस्कृतिक अभिरुचि का परिचय दिया।

संस्था की अध्यक्ष साधना मिश्रा 'विंध्य' ने कहा कि त्योहार हमारी संस्कृति और संस्कारों के संवाहक हैं। इनके माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना और भारतीय परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना संस्था का प्रमुख उद्देश्य है।

प्रतियोगिताओं में शालिनी सिंह, कीर्ति तिवारी जी, डॉ उषा पांडे शुभांगी जी, राम साय श्रीवास राम जी, निर्मला सिंह जी, आशा अग्निहोत्री जी, तरुणा श्रीवास्तव, शशि सराफ, दीपा दीक्षित, शोभा सतीश पाठक, मोनिका ममता रथ, उषा पांडे, संजय सेन, मानसी वाजपेई, मीता पाठक, चेतना शुक्ला, आशा बिसारिया, किरण त्रिपाठी, प्रवीणा श्री निधि, चंदा मिश्रा, डॉ. साधना मिश्रा लखनवी, देविका श्रीवास्तव, ब्रज किशोरी त्रिपाठी, प्रमा सिन्हा, डॉ. नीलू सक्सेना 'कस्तूरी', अलका बालियान, सुधा द्विवेदी, पुष्पा निर्मल, सरोज बिलोनिया, अनीता उपाध्याय, ईरा जौहरी, सुशीला चनानी एवं चंदा देवी स्वर्णकार सहित अनेक प्रतिभागियों ने देश के विभिन्न भागों से सहभागिता की।

संस्था की ओर से सभी प्रतिभागियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागरूकता के आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया गया।

ऊंट-घोड़ों और सजे-धजे रथ के साथ निकली कायस्थ महासभा की भव्य शोभायात्रा, गटका के हैरतअंगेज करतबों ने बांधा समां

परिवहन विशेष न्यूज



गयाजी। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वावधान में ऊंट, घोड़ों और सजे-धजे रथ के साथ भव्य शोभायात्रा एवं सामूहिक प्रतिमा विसर्जन का आयोजन श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर नई गोदाम मोड़ से भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रुक्मिणी सरोवर पहुंची। यात्रा में कायस्थ समाज के हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे मार्ग में जयघोष और उत्सवी माहौल देखने को मिला। शोभायात्रा में सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक परंपरा की सुंदर झलक दिखाई दी।

शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण पंजाब से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत गटका की पारंपरिक युद्धकला रही। कलाकारों ने तलवारबाजी सहित कई हैरतअंगेज और साहसिक करतब दिखाकर लोगों को रोमांचित कर दिया। उनकी फुर्ती और शानदार प्रदर्शन को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।

इस मौके पर गया नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति के सदस्य सह पूर्व उप महापौर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, पार्षद संजय सिन्हा, राजीव कुमार सिन्हा उर्फ राजू, पार्षद प्रतिनिधि शशि किशोर उर्फ शिशु, कुमार गौरव, संजीव कुमार सिन्हा, राजू सिन्हा, छोटू सिन्हा, शशिरंजन सिन्हा, डॉ. प्रियरंजन, अभिनव सिन्हा और राजीव रंजन प्रसाद सहित बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग उपस्थित रहे।

अंत में शोभायात्रा रुक्मिणी सरोवर पहुंची, जहां विधि-विधान के साथ सामूहिक रूप से प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।

वैज्ञानिकों से कहीं बड़ा है विज्ञान: खोज और ज्ञान की एक सार्वभौमिक यात्रा





डॉ. विजय गर्ग
रिटायर्ड प्रिंसिपल | एमिनेंट साइंटिस्ट



इतिहास में अनेक महान वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के प्रति हमारी समझ को नया स्वरूप दिया है। आइजैक न्यूटन ने गति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों की व्याख्या की, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अंतरिक्ष और समय के प्रति हमारी समझ में क्रांति ला दी, मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सी. वी. रमन ने प्रकाश के अध्ययन में नए रास्ते खोले। उनकी उपलब्धियाँ आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं।

डॉ. विजय गर्ग

विज्ञान मानवता की सबसे महान उपलब्धियों में से एक है, लेकिन इसका दायरा इसके विकास में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों से भी कहीं अधिक व्यापक है। वैज्ञानिक नए तथ्यों की खोज कर सकते हैं, सिद्धांत विकसित कर सकते हैं और नई तकनीकों का आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की साझा विरासत है। यह जिज्ञासा, अवलोकन, प्रयोग और सीखने की एक निरंतर यात्रा है, जो व्यक्तियों, संस्थानों और देशों की सीमाओं से परे है।

इतिहास में अनेक महान वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के प्रति हमारी समझ को नया स्वरूप दिया है। आइजैक न्यूटन ने गति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों की व्याख्या की, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अंतरिक्ष और समय के प्रति हमारी समझ में क्रांति ला दी, मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सी. वी. रमन ने प्रकाश के अध्ययन में नए रास्ते खोले। उनकी उपलब्धियाँ आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। लेकिन विज्ञान किसी वैज्ञानिक के जीवन या उपलब्धियों के साथ समाप्त नहीं होता। प्रत्येक नई खोज भविष्य के अनुसंधान की नींव बनती है।

विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। नए प्रमाण सामने आने और अनुसंधान के बेहतर तरीके विकसित होने के साथ वैज्ञानिक ज्ञान लगातार बदलता और विकसित होता रहता है। आज सही माने जाने वाले किसी सिद्धांत में कल नए प्रमाण मिलने पर संशोधन किया जा सकता है या उसे बदला जा सकता है। स्थापित विचारों पर प्रश्न उठाने की यही क्षमता विज्ञान को अंधविश्वास और रूढ़िवादी मान्यताओं से अलग बनाती है। विज्ञान बिना प्रश्न किए किसी बात को स्वीकार करने के बजाय सवाल पूछने, प्रमाणों की जाँच करने और तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करता है।

विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों या अनुसंधान केंद्रों तक सीमित नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। किसान फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हैं, डॉक्टर चिकित्सा अनुसंधान के माध्यम से जीवन बचाते हैं, इंजीनियर पुलों के निर्माण में गणितीय सिद्धांतों का उपयोग करते हैं और शिक्षक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हैं। खाना पकाने, बागवानी करने, यात्रा करने और संवाद स्थापित करने जैसी सामान्य गतिविधियों में भी वैज्ञानिक सिद्धांत शामिल होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति विज्ञान का अनुभव करता है और उससे लाभ उठाता है।

विज्ञान का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सामूहिक प्रकृति है। कोई भी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि अकेले व्यक्ति के प्रयासों से संभव नहीं होती। प्रत्येक सफल आविष्कार या खोज के पीछे पहले के शोधकर्ताओं, तकनीशियनों, सहायकों, संस्थानों और अनगिनत ऐसे लोगों का योगदान होता है, जिनके नाम शायद कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते। आधुनिक अंतरिक्ष अभियान, चिकित्सा संबंधी खोजें और तकनीकी आविष्कार विभिन्न विषयों तथा देशों के लोगों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता , जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष अनुसंधान का विकास दर्शाता है कि वैज्ञानिक ज्ञान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये क्षेत्र ऐसे अवसर पैदा कर रहे हैं, जिनकी कुछ दशक पहले कल्पना करना भी कठिन था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जटिल जानकारियों के विश्लेषण में सहायता कर रही है, जैव प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाएँ खोल रही है तथा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। हालाँकि, ये प्रगतियाँ नैतिकता, निजता, रोजगार और पर्यावरणीय जिम्मेदारी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी खड़े करती हैं।

विज्ञान हमें विनम्रता का पाठ भी पढ़ाता है। मानव जितनी अधिक खोज करता है, उसे उतना ही एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। हमने ब्रह्मांड के केवल एक छोटे से हिस्से का ही अध्ययन किया है। मानव मस्तिष्क, चेतना, महासागरों और जीवन की उत्पत्ति से जुड़े अनेक रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। यह अनिश्चितता हमें निराश करने के बजाय अज्ञात की खोज करने के लिए और अधिक प्रेरित करनी चाहिए।

दुर्भाग्य से, समाज कभी-कभी व्यक्तिगत वैज्ञानिकों, पुरस्कारों, पदों और निजी प्रसिद्धि को आवश्यकता से अधिक महत्व देने लगता है। महान शोधकर्ताओं का सम्मान करना निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन विज्ञान को केवल व्यक्तिगत प्रसिद्धि या प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बनना चाहिए। इसका वास्तविक उद्देश्य मानव समझ को बढ़ाना और समाज के कल्याण में योगदान देना है। किसी वैज्ञानिक की महानता केवल उसके पुरस्कारों या प्रकाशित शोधपत्रों से नहीं, बल्कि उसके कार्य के समाज पर पड़े सकारात्मक प्रभाव से मापी जानी चाहिए।

आम नागरिकों के लिए भी वैज्ञानिक सोच अत्यंत महत्वपूर्ण है। गलत सूचनाओं, अफवाहों और भ्रामक दावों के इस युग में लोगों को तथ्यों और विचारों के बीच अंतर समझने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अविश्वसनीय जानकारी पर सवाल उठाना, प्रमाणों की जाँच करना और तर्क के आधार पर निर्णय लेना वैज्ञानिक चेतना से युक्त समाज के आवश्यक गुण हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण सहिष्णुता को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि यह हमें अपने पुराने विचारों के विपरीत प्रमाण मिलने पर भी सत्य को स्वीकार करने की शिक्षा देता है।

युवाओं में ऐसी सोच विकसित करने की विशेष जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों की है। विद्यार्थियों को केवल परीक्षाओं के लिए वैज्ञानिक तथ्यों और सूत्रों को याद नहीं करवाना चाहिए। उन्हें प्रयोग करने, प्रकृति का अवलोकन करने, प्रश्न पूछने, परियोजनाओं में भाग लेने और स्वतंत्र चिंतन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य भविष्य के नवाचारकर्ताओं के साथ-साथ ऐसे जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए, जो वैज्ञानिक प्रगति के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को समझ सकें।

अंततः विज्ञान संपूर्ण मानवता की साझा विरासत है। इसकी भाषा गणितीय हो सकती है, इसके तरीके प्रयोगात्मक हो सकते हैं और इसकी खोजें तकनीकी रूप से जटिल हो सकती हैं, लेकिन इसके लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचने चाहिए। वैज्ञानिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकी अवसरों तक पहुँच केवल संपन्न वर्गों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।

विज्ञान की यात्रा आज के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के इतिहास का हिस्सा बन जाने के बाद भी जारी रहेगी। नई पीढ़ियाँ वर्तमान ज्ञान को चुनौती देंगी, नई संभावनाओं की खोज करेंगी और उन समस्याओं के समाधान खोजेंगी, जिनका मानवता ने अभी सामना भी नहीं किया है। वैज्ञानिक इस यात्रा के महत्वपूर्ण सहभागी हैं, लेकिन विज्ञान उनसे कहीं बड़ी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

विज्ञान कुछ गिने-चुने प्रतिभाशाली मस्तिष्कों की संपत्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समुदाय की साझा धरोहर है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल यह जानना नहीं है कि दुनिया कैसे काम करती है, बल्कि इस ज्ञान का उपयोग करके एक अधिक जागरूक, शांतिपूर्ण, टिकाऊ और समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है।

डॉ. विजय गर्ग
सेवानिवृत्त प्राचार्य | पूर्व पी.ई.एस.-1 | प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर., मलोट, पंजाब – 152107

बच्चों को केवल प्रतियोगिता के लिए नहीं, जीवन के लिए तैयार करें: अंकों और पदकों से आगे, भावनात्मक रूप से मजबूत बच्चों का निर्माण

डॉ. विजय गर्ग

आज की तेजी से प्रतिस्पर्धी होती दुनिया में बचपन अक्सर परीक्षाओं, अंकों की दौड़, प्रवेश परीक्षाओं, खेल प्रतियोगिताओं और सफलता के दबाव में सिमटता जा रहा है। माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, शिक्षक बेहतर परिणामों के लिए प्रयास करते हैं और समाज अक्सर सफलता को अंकों, पदकों, डिग्रियों तथा प्रतिष्ठित पदों से मापता है। यद्यपि मेहनत और उपलब्धियाँ महत्त्वपूर्ण हैं, फिर भी एक प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है: क्या हम बच्चों को केवल प्रतियोगिताएँ जीतने के लिए तैयार कर रहे हैं, या उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग्य भी बना रहे हैं?

वास्तविक शिक्षा पाठ्यपुस्तकों और परीक्षा कक्षों तक सीमित नहीं होती। इसका उद्देश्य ऐसे संतुलित, आत्मविश्वासी, संवेदनशील और भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्तियों का निर्माण करना होना चाहिए, जो असफलताओं का सामना कर सकें, तनाव को संभाल सकें, स्वस्थ संबंध बनाए रख सकें और सोच-समझकर निर्णय ले सकें। बच्चों को जीवन के लिए तैयार करने हेतु उनके बौद्धिक विकास के साथ-साथ भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी आवश्यक है।

प्रतिस्पर्धा का बढ़ता दबाव

आज बच्चों को छोटी उम्र से ही अनेक अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। उनसे परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने, पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने, नए कौशल सीखने और अपने साथियों से आगे रहने की अपेक्षा की जाती है। सोशल मीडिया इस दबाव को और बढ़ाता है, क्योंकि वहाँ अक्सर दूसरों की सफलता और उपलब्धियों की चुनिंदा तस्वीरें ही दिखाई देती हैं।

जब बच्चे यह मानने लगते हैं कि उनका महत्त्व केवल उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है, तो उनमें चिंता, असफलता का भय, आत्मविश्वास की कमी और हीन भावना विकसित हो सकती है। अपेक्षा से कम अंक प्राप्त करने वाला बच्चा अपनी पूरी मेहनत के बावजूद स्वयं को असफल समझ सकता है। कोई अन्य बच्चा अपनी गलतियों को स्वीकार करने से डर सकता है, क्योंकि उसे आलोचना का भय रहता है।

प्रतिस्पर्धा अपने आप में बुरी नहीं है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अनुशासन, दृढ़ संकल्प और निरंतर सुधार की भावना विकसित कर सकती है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब सीखने से अधिक महत्त्व जीतने को दिया जाता है और बच्चों को लगने लगता है कि उनका सम्मान, प्रेम तथा स्वीकार्यता उनकी उपलब्धियों पर निर्भर है।

भावनात्मक मजबूती: जीवन जीने का महत्त्वपूर्ण कौशल

भावनात्मक मजबूती का अर्थ है कठिनाइयों का सामना करना, असफलताओं से उबरना, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनना और चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ते रहना। इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चे कभी उदास, निराश, भयभीत या चिंतित नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि वे धीरे-धीरे अपनी भावनाओं को समझना और उनसे रचनात्मक ढंग से निपटना सीखें।

भावनात्मक रूप से मजबूत बच्चा निराशाजनक परिणाम के बाद भी अपना आत्मविश्वास बनाए रख सकता है, समस्या आने पर सहायता माँग सकता है और असफलता के बाद दोबारा प्रयास कर सकता है। वह समझता है कि गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं और एक असफल प्रयास उसके पूरे भविष्य का निर्धारण नहीं करता।

भावनात्मक मजबूती कोई ऐसी जन्मजात विशेषता नहीं है, जो कुछ बच्चों में हो और दूसरों में न हो। इसे सहयोगपूर्ण संबंधों, समस्याओं को सुलझाने के अवसरों, उम्र के अनुरूप जिम्मेदारियों तथा माता-पिता और शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन से विकसित किया जा सकता है।

माता-पिता: भावनात्मक मजबूती के प्रथम शिक्षक

बच्चों के भावनात्मक विकास में परिवार की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। बच्चों को ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है, जहाँ वे स्वयं को प्यार किया हुआ, सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें तथा बिना किसी डर के अपनी भावनाएँ व्यक्त कर सकें।

जब बच्चे अपने डर, निराशा या समस्याओं के बारे में बात करें, तो माता-पिता को धैर्यपूर्वक उनकी बात सुननी चाहिए। तुरंत आलोचना करने या समाधान बताने के बजाय वे पूछ सकते हैं, "इस परिस्थिति में तुम्हें कैसा महसूस हुआ?" या "हम इस अनुभव से क्या सीख सकते हैं?"

केवल अच्छे अंकों की प्रशंसा करने के बजाय मेहनत, लगन, ईमानदारी, जिज्ञासा और सुधार के प्रयासों की सराहना करना अधिक उपयोगी है। माता-पिता को अपने बच्चों की तुलना भाई-बहनों, सहपाठियों या पड़ोसियों के बच्चों से करने से बचना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति, रुचियाँ और क्षमताएँ अलग-अलग होती हैं।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि माता-पिता का प्यार उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों पर निर्भर है। उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा में असफल होने या गलती करने के बावजूद वे परिवार के लिए उतने ही प्रिय और महत्त्वपूर्ण हैं।

विद्यालयों में मस्तिष्क के साथ हृदय की शिक्षा भी आवश्यक

विद्यालय केवल ज्ञान प्रदान करने वाले संस्थान नहीं हैं। ये वे स्थान हैं, जहाँ बच्चे सहयोग, संवाद, विवादों का समाधान और दूसरों के विचारों को समझना सीखते हैं।

शिक्षक ऐसा कक्षा-कक्ष वातावरण बना सकते हैं, जहाँ विद्यार्थी प्रश्न पूछने, अपनी गलतियाँ स्वीकार करने और सम्मानपूर्वक विचार व्यक्त करने में सहज महसूस करें। गलत उत्तर देने पर विद्यार्थियों को अपमानित करने के बजाय उनकी गलतियों को सीखने के अवसरों के रूप में उपयोग करना चाहिए।

विद्यालयों में भावनात्मक जागरूकता, टीमवर्क, सहानुभूति, समस्या-समाधान और विवादों को सुलझाने से संबंधित गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं। खेल, कला, संगीत, नाटक, वाद-विवाद और सामुदायिक सेवा बच्चों को जीत तथा हार, दोनों से सीखने के मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं।

विद्यालयों में परामर्श सेवाएँ और सहयोगपूर्ण संवाद विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव, साथियों के दबाव, बदमाशी तथा पारिवारिक अपेक्षाओं से निपटने में सहायता कर सकते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा माना जाना चाहिए, न कि केवल एक वैकल्पिक गतिविधि।

बच्चों को असफलता का सामना करना सिखाएँ



असफलता जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है, फिर भी अनेक बच्चों को इससे डरना सिखाया जाता है। जब वयस्क गलतियों पर कठोर प्रतिक्रिया देते हैं, तो बच्चे चुनौतियों से बचने लगते हैं और केवल वही कार्य करना पसंद करते हैं, जिनमें सफलता की संभावना अधिक हो।

इसके बजाय बच्चों को समझाना चाहिए कि असफलता हमें यह जानने में सहायता करती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। परीक्षा में कम अंक आने से पढ़ाई की कमजोरियों, अनुचित अध्ययन पद्धतियों या अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता का पता चल सकता है। खेल में हारना टीम भावना, धैर्य और दृढ़ता सिखा सकता है।

बच्चों को असफलताओं का विश्लेषण करने में मदद करनी चाहिए, लेकिन उनके व्यक्तित्व पर नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। "तुम लापरवाह हो" कहने और "आओ, समझें कि क्या गलत हुआ और अगली बार कैसे सुधार कर सकते हैं" कहने में बहुत अंतर है।

उद्देश्य असफलता का उत्सव मनाना नहीं, बल्कि उससे सीखने का साहस विकसित करना है।

उपलब्धियों और खुशियों के बीच संतुलन

बच्चों को पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधियों, शौक, मित्रता, पारिवारिक बातचीत और स्वतंत्र रूप से खेलने के लिए समय मिलना चाहिए। यदि उनका पूरा दिन ट्यूशन, गृहकार्य, कोचिंग और प्रतियोगिताओं में बीतता है, तो वे मानसिक रूप से थक सकते हैं।

माता-पिता को अत्यधिक तनाव के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे लगातार चिड़चिड़ापन, दूसरों से अलग रहना, नींद में परेशानी, पसंदीदा गतिविधियों में रुचि कम होना या बार-बार शारीरिक तकलीफों की शिकायत करना। ऐसे संकेतों को आलस्य या अनुशासन की कमी समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए।

संतुलित दिनचर्या एकाग्रता, रचनात्मकता, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देती है। बच्चों को सफलता की किसी एक परिभाषा की ओर धकेलने के बजाय अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

यदि भावनात्मक परेशानी लगातार बनी रहे या दैनिक जीवन को प्रभावित करे, तो योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेना एक जिम्मेदार कदम है।

भावनात्मक रूप से मजबूत बच्चे तैयार करने के व्यावहारिक उपाय

माता-पिता और शिक्षक कुछ सरल उपाय अपनाकर बच्चों में भावनात्मक मजबूती विकसित कर सकते हैं:

1. बिना निर्णय सुनाए उनकी बात सुनें: बच्चों को अपनी भावनाएँ खुलकर व्यक्त करने का अवसर दें।
2. प्रयास और प्रगति की प्रशंसा करें: केवल परिणामों की नहीं, बल्कि मेहनत, जिज्ञासा, दयालुता और सुधार की भी सराहना करें।
3. आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करें: बच्चों को उम्र के अनुसार निर्णय लेने और अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने दें।
4. गलतियों को सीखने का अवसर बनाएँ: समझाएँ कि गलतियाँ शर्म का कारण नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
5. अनुचित तुलना से बचें: प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत विकास और विशिष्ट क्षमताओं पर ध्यान दें।
6. भावनाओं को संभालने का उदाहरण प्रस्तुत करें: वयस्क अपने गुस्से, निराशा और मतभेदों को स्वस्थ तरीके से संभालना सीखें।
7. आराम और खेल के लिए समय बचाएँ: उपलब्धियों की दौड़ को बचपन की सरल खुशियों पर हावी न होने दें।
8. सहानुभूति और दयालुता विकसित करें: बच्चों को दूसरों के विचारों का सम्मान करना, सहयोग करना और आवश्यकता पड़ने पर मदद करना सिखाएँ।

ये उपाय हर कठिनाई को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को जीवन की चुनौतियों का अधिक आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं।

निष्कर्ष

शिक्षा का उद्देश्य केवल कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों या सफल पेशेवरों का निर्माण करना नहीं है। इसका उद्देश्य जिम्मेदार, विवेकशील, परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने वाले और भावनात्मक रूप से स्वस्थ इंसान तैयार करना भी है।

अंक नए अवसरों के द्वार खोल सकते हैं और पदक प्रतिभा को पहचान दिला सकते हैं, लेकिन भावनात्मक मजबूती व्यक्ति को अस्वीकृति का सामना करने, कठिनाइयों से उबरने, संबंध बनाए रखने और जीवन में अर्थ खोजने में सहायता करती है। जो बच्चा अपनी भावनाओं को संभालना, दूसरों का सम्मान करना, असफलता स्वीकार करना और दोबारा प्रयास करना सीख लेता है, वह परीक्षा के बाद भी जीवन के प्रत्येक चरण में इन गुणों से लाभान्वित होता है।

इसलिए माता-पिता, शिक्षकों और समाज को सफलता की परिभाषा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमें केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि क्या वह सुरक्षित महसूस करता है, क्या उसमें आत्मविश्वास विकसित हो रहा है, क्या वह दूसरों के साथ दयालुता से व्यवहार करता है और क्या वह कठिनाइयों का सामना करना जानता है।

आइए, बच्चों को केवल प्रतियोगिताएँ जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना साहस, सहानुभूति और आत्मविश्वास के साथ करने के लिए तैयार करें। अंकों और पदकों से आगे बढ़कर मजबूत मस्तिष्क, स्वस्थ हृदय और भावनात्मक रूप से सक्षम इंसानों का निर्माण करें।

डॉ. विजय गर्ग
सेवानिवृत्त प्राचार्य | प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कौर चंद, एमएचआर मलोट, पंजाब – 152107

पंजाब में वेतन निर्धारण पर अभी ब्रेक - हाईकोर्ट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने कहा, सरकारी निर्देश आने तक कोई कार्रवाई न करें

कमलदीप कौर केस में 24 अगस्त 2026 का फैसला, 13 नवंबर 2026 को वित्त विभाग का पत्र – जल्दबाजी में फिक्सेशन की तो होगी गलती

रिपोर्ट : परिवहन विशेष समाचार पत्र - विधि / जनहित डेस्क चंडीगढ़।

पंजाब सरकार के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण - Pay Fixation - को लेकर वित्त विभाग ने एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। इस पत्र में साफ कहा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुपालन में वेतन निर्धारण की कार्रवाई अभी सरकार के अगले निर्देश आने तक न की जाए। यह पत्र उन सभी विभागों के लिए है, जो हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपने-अपने स्तर पर वेतन निर्धारण की कार्यवाही करने की तैयारी कर रहे थे। वित्त विभाग ने कहा है - मामला अभी सरकार के सक्रिय विचाराधीन है, इसलिए जल्दबाजी न करें।

मुख्य तथ्य - एक नज़र में

- पत्र जारी करने वाला विभाग: पंजाब सरकार, वित्त विभाग, वित्त कार्मिक-1 शाखा
- पत्र संख्या: No. FD-FP-10CC(CWP)/193/2026-3FP1/49
- पत्र की तारीख: 13 नवंबर 2026, चंडीगढ़
- किसको भेजा गया: सभी स्पेशल मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्तीय आयुक्त, प्रधान सचिव और प्रशासनिक सचिव, पंजाब सरकार
- हस्ताक्षर: जसविंदर सिंह, उप सचिव, वित्त
- हाईकोर्ट केस: सिविल रिट याचिका नंबर 25346 ऑफ 2026, कमलदीप कौर व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य, साथ में अन्य जुड़े हुए केस
- हाईकोर्ट: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
- फैसले की तारीख: 24 अगस्त 2026
- विषय: हाईकोर्ट के फैसले के अनुपालन में वेतन निर्धारण - Pay Fixation - के निर्देश

1. पत्र में क्या लिखा है? - पूरा सच, शब्द-दर-शब्द

भावार्थ वित्त विभाग ने पत्र में 3 बातें साफ कही हैं:

1. हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 अगस्त 2026 के फैसले से कमलदीप कौर व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य, सिविल रिट याचिका नंबर 25346 ऑफ 2026, साथ में अन्य जुड़े हुए केसों का निपटारा कर दिया है।

2. विभागों से प्रस्ताव / सवाल आ रहे हैं विभिन्न प्रशासनिक विभागों से इस फैसले के अनुसार वेतन निर्धारण की कार्यप्रणाली - Methodology - को लेकर प्रस्ताव / सवाल प्राप्त हो रहे हैं। यानी हर विभाग पूछ रहा है - हम फिक्सेशन कैसे करें? किस फॉर्मूले से करें? किस तारीख से करें?

3. अभी कोई कार्रवाई नहीं, सरकार के निर्देश का इंतजार करें

चूंकि मामला नीतिगत निर्णय - Policy Decision - से जुड़ा है और हाईकोर्ट के निर्देशों का सही अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत जांच की जरूरत है, इसलिए निवेदन किया जाता है कि ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण की आगे की कार्रवाई सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार ही की जाए, क्योंकि मामला अभी सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

> मतलब साफ है - अभी फिक्सेशन नहीं होगा, पहले सरकार एक समान नीति / निर्देश जारी करेगी, फिर सभी विभाग उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

2. इस पत्र का मतलब क्या है? - 5 बातें समझें

1. यह फैसला लागू करने से मना नहीं है यह पत्र हाईकोर्ट के फैसले को रोकने या टालने के लिए नहीं है। यह सिर्फ यह कह रहा है कि अलग-अलग विभाग अपने-अपने तरीके से फिक्सेशन न करें।

2. एक समान फॉर्मूला बनेगा अगर हर विभाग अपनी मर्जी से फिक्सेशन करेगा, तो एक ही केस के कर्मचारियों का वेतन अलग-अलग हो जाएगा। बाद में फिर से केस होंगे। इसलिए वित्त विभाग पहले एक समान कार्यप्रणाली तय करेगा।

3. नीतिगत निर्णय है, सिर्फ गणना नहीं पत्र में साफ लिखा है - मामले में नीतिगत निर्णय शामिल है। यानी सिर्फ जोड़-घटाव नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि फैसला किन-किन कर्मचारियों पर लागू होगा, किस तारीख से लागू होगा, एरियर मिलेगा या नहीं, पेंशन पर क्या असर होगा।

4. विभागों को जल्दबाजी से रोका गया है कई विभागों ने प्रस्ताव भेजे थे। वित्त विभाग ने उन पर रोक लगाते हुए कहा है - अभी अपने स्तर पर आदेश जारी मत करो।

5. कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा जो कर्मचारी सोच रहे हैं कि 13 नवंबर के पत्र के बाद तुरंत वेतन बढ़ जाएगा, उन्हें यह समझना होगा कि यह पत्र वेतन बढ़ाने का आदेश नहीं है, यह वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का आदेश है।

3. इस पत्र का मतलब क्या नहीं है? - 4 बड़ी गलतफहमियां दूर करें

गलतफहमी 1: सरकार ने हाईकोर्ट का फैसला मानने से मना कर दिया

सचः ऐसा नहीं लिखा है। पत्र में कहा है - फैसला लागू होगा, लेकिन सरकार के निर्देश के अनुसार।

गलतफहमी 2: वेतन निर्धारण रद्द हो गया

सचः वेतन निर्धारण रद्द नहीं हुआ, स्थगित / नियंत्रित हुआ है। जब तक एक समान निर्देश नहीं आते, तब तक कोई विभाग अलग से फिक्सेशन नहीं करेगा।

गलतफहमी 3: सबको एक जैसा लाभ मिलेगा

सचः यह पत्र यह नहीं कहता कि सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। लाभ किसको मिलेगा, यह हाईकोर्ट के फैसले के दायरे और सरकार के निर्देश से तय होगा। कमलदीप कौर केस में याचिकाकर्ता कौन थे, उनकी श्रेणी क्या थी, यह फैसले की पूरी कॉपी देखने के बाद ही साफ होगा।

गलतफहमी 4: एरियर कल ही खाते में आ जाएगा

सचः पत्र में एरियर, तारीख, राशि - किसी का जिक्र नहीं है। इसलिए एरियर की कोई तारीख इस पत्र से नहीं निकलती।

> अगर कोई एजेंट, यूनियन नेता या सोशल मीडिया पोस्ट कहे कि इस पत्र के बाद आपका वेतन इतना बढ़ गया, एरियर इतना मिलेगा, तो समझिए वह अनुमान लगा रहा है, सरकारी आदेश नहीं दिखा रहा है।

4. अब आगे क्या होगा? - पूरी प्रक्रिया

चरण 1 - वित्त विभाग की जांचः वित्त विभाग हाईकोर्ट के फैसले की पूरी कॉपी, विभागों के प्रस्ताव और वित्तीय प्रभाव की जांच करेगा।

चरण 2 - नीतिगत निर्णयः सरकार तय करेगी - फिक्सेशन का फॉर्मूला क्या होगा, किस तारीख से लागू होगा, किन पदों / श्रेणियों पर लागू होगा।

चरण 3 - एक समान निर्देश जारी होंगेः वित्त विभाग सभी विभागों के लिए एक समान निर्देश / परिपत्र जारी करेगा। उसी के बाद विभाग फिक्सेशन कर सकेंगे।

चरण 4 - विभाग स्तर पर कार्रवाईः प्रशासनिक विभाग, DDO / खजाना कार्यालय उसी निर्देश के अनुसार व्यक्तिगत कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करेंगे।

चरण 5 - ऑडिट / जांचः गलत फिक्सेशन हुआ तो बाद में वसूली भी हो सकती है। इसलिए पहले से सही फॉर्मूला जरूरी है।

5. कर्मचारियों के लिए क्या करें, क्या न करें? - जनहित में सलाह

क्या करें:

1. अपने विभाग के प्रशासनिक सचिव / DDO से लिखित में पूछें - क्या सरकार के नए निर्देश आए हैं?
2. अपने सेवा रिकॉर्ड, नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची और हाईकोर्ट फैसले की कॉपी संभालकर रखें
3. अपने विभाग की एसोसिएशन / यूनियन से आधिकारिक जानकारी लें
4. वित्त विभाग के अगले पत्र / निर्देश का इंतजार करें

क्या न करें:

1. इस पत्र को दिखाकर किसी से वेतन बढ़ाने की मांग न करें, यह वेतन बढ़ाने का पत्र नहीं है
2. किसी एजेंट को फिक्सेशन कराने के नाम पर पैसा न दें
3. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी गणना पत्रों पर भरोसा न करें
4. अपने स्तर पर DDO से दबाव बनाकर गलत फिक्सेशन न कराएं, बाद में वसूली हो सकती है

एक जरूरी बात:

> वेतन निर्धारण में गलती हुई तो लाभ नहीं, मुसीबत होगी। ज्यादा वेतन लेने पर बाद में एरियर की वसूली और पेंशन में कटौती तक हो सकती है। इसलिए सही निर्देश का इंतजार ही सबसे सुरक्षित रास्ता है।

6. विभागों के लिए भी संदेश - वित्त विभाग ने क्यों रोका? वित्त विभाग ने सभी स्पेशल मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्तीय आयुक्त, प्रधान सचिव और प्रशासनिक सचिवों को पत्र भेजा है। इसका मतलब है - यह आदेश सिर्फ एक विभाग के लिए नहीं, पूरे पंजाब के लिए है।

अगर कोई विभाग इस पत्र के बाद भी अपने स्तर पर फिक्सेशन करता है, तो वह वित्त विभाग के निर्देश का उल्लंघन माना जाएगा।

इसलिए विभागों को चाहिए:

- अपने पास आए प्रस्तावों को वित्त विभाग को भेजें
- अपने स्तर पर कोई नया फिक्सेशन आदेश जारी न करें
- कर्मचारियों को सही जानकारी दें, भ्रम न फैलाएं

संपादकीय निष्कर्ष - जनहित में हमारी अपील यह पत्र छोटा है, लेकिन इसका संदेश बड़ा है।

सरकार से अपील -

> हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने में देरी न हो। जल्द से जल्द एक समान, स्पष्ट और लिखित निर्देश जारी हों, ताकि कर्मचारी भ्रम में न रहें और विभाग भी अटकलें न लगाएं।

विभागों से अपील -

> अपने-अपने फॉर्मूले से फिक्सेशन करके कर्मचारियों को दोहरी मार मत दीजिए। एक बार गलत फिक्सेशन हुआ, तो वसूली का बोझ कर्मचारी पर पड़ेगा।

कर्मचारियों से अपील -

> धैर्य रखिए। यह पत्र आपके हक को रोकने के लिए नहीं है, आपके हक को सही तरीके से, एक समान तरीके से दिलाने के लिए है।

हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, वित्त विभाग ने प्रक्रिया को व्यवस्थित किया है, अब सरकार के अंतिम निर्देश का इंतजार है।



सरकारी नौकरी 60 साल तक का हक नहीं - सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अनिवार्य सेवानिवृत्ति सजा नहीं, जनहित का अधिकार

छत्तीसगढ़ के 5 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सही, 50 साल / 20 साल सेवा के बाद सरकार कर सकती है समीक्षा - सुनवाई और विभागीय जांच जरूरी नहीं

रिपोर्ट : परिवहन विशेष समाचार पत्र - विधि / जनहित डेस्क

सरकार जनहित और प्रशासनिक व्यवस्था की बेहतरी के लिए किसी कर्मचारी को निर्धारित उम्र से पहले भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट करते हुए कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उद्देश्य कर्मचारी को दंडित करना नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की कार्यक्षमता बनाए रखना है।

अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें विधि माप विज्ञान विभाग के कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सरकारी सेवा में बने रहने का अधिकार सामान्य सेवानिवृत्ति की उम्र तक बिना किसी शर्त के नहीं होता। सेवा नियमों में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह कर्मचारी के कामकाज और सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा कर जनहित में जरूरी फैसला ले सके।

मुख्य तथ्य - एक नज़र में

- मामला: चतुर सिंह ध्रुव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य, साथ में मनहरण लाल साहू की अपील
- साइटेशन: 2026 INSC 1205 - रिपोर्टेबल फैसला
- फैसला तारीख: 6 नवंबर 2026
- पीठ: जस्टिस मनमोहन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर, फैसला जस्टिस मनमोहन ने लिखा
- विभाग: छत्तीसगढ़ विधि माप विज्ञान विभाग - लीगल मेट्रोलॉजी, रायपुर, वजन-माप विभाग
- कानूनी आधार: फंडामेंटल रूल 56 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 का नियम 42(1)(b)
- समीक्षा का आधार: 25 अप्रैल 2017 का सामान्य प्रशासन विभाग का सर्कुलर
- समीक्षा मापदंड: 50 साल उम्र पूरी या 20 साल की पात्र सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी
- परिणाम: दोनों अपीलें खारिज, हाईकोर्ट का 12 अप्रैल 2023 का फैसला बरकरार, कोई खर्च का आदेश नहीं

1. सहायक ग्रेड-3 तक पहुंचे थे कर्मचारी - पूरी कहानी

मामला छत्तीसगढ़ के विधि माप विज्ञान विभाग के 5 कर्मचारियों से जुड़ा था। इनमें चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू भी शामिल थे।

- दोनों की नियुक्ति शुरुआत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - चपरासी के रूप में हुई थी।
- चतुर सिंह ध्रुव की नियुक्ति 1989 में और मनहरण लाल साहू की नियुक्ति 1993 में रायपुर में हुई।
- बाद में पदोन्नति पाकर वे सहायक ग्रेड-3 के पद तक पहुंचे। ध्रुव को 2012 में और साहू को 2013 में पदोन्नति मिली।
- 19 जून 2015 को उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं।
- वर्ष 2017 में सरकार ने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी।

दोनों कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने भी सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

सफर:

हाईकोर्ट एकल पीठ - 23 अगस्त 2019 को याचिका खारिज -> हाईकोर्ट खंडपीठ - 12 अप्रैल 2023 को फैसला बरकरार -> सुप्रीम कोर्ट - 6 नवंबर 2026 को अपील खारिज

2. स्क्रीनिंग कमेटी ने क्या किया? - ये हिस्सा पुराने लेख में छूटा था

साल 2017 में सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्कुलर जारी किया। इसमें उन सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया, जिनकी उम्र 50 साल पूरी हो चुकी थी या जिन्होंने 20 साल की सेवा पूरी कर ली थी।

समीक्षा के 4 मापदंड थे:

1. ईमानदारी और निष्ठा - Integrity
2. शारीरिक क्षमता - Physical Capacity
3. प्रतिष्ठा और कार्यक्षमता - Reputation and Work Capacity
4. समग्र मूल्यांकन - Overall Evaluation, B - गुड से नीचे होना

स्क्रीनिंग कमेटी:

- कमेटी ने 4 सितंबर 2017 को बैठक की
- 14 लिपिकीय कर्मचारियों के पूरे सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा की
- ACR ग्रेडिंग को नंबरों में बदला - A+ = 5, A = 4, B = 3, C = 2, D = 1
- 5 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की
- 9 अक्टूबर 2017 को आदेश जारी हुए

दोनों कर्मचारियों का रिकॉर्ड:

- चतुर सिंह ध्रुव: 2013 में A, फिर 2014 से 2017 तक लगातार C, औसत 2.4
- मनहरण लाल साहू: 2013 से 2017 तक हर साल C, औसत 2.0, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट में निष्ठा संदिग्ध दर्ज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - कमेटी ने सिर्फ 5 साल की ACR नहीं देखी, पहले पूरा सर्विस डोजियर देखा, फिर 5 साल की ACR को लगातार गिरावट की जांच के लिए देखा। इसलिए यह मनमाना नहीं था।

बाकी 3 कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति की सिफारिश हुई - रामलाल सरुटे, ईश्वर प्रसाद साहू और चितराम ध्रुवे।

3. सुप्रीम कोर्ट ने 5 बड़े सिद्धांत तय किए

1. अनिवार्य सेवानिवृत्ति सजा नहीं है, कलंक नहीं है

अदालत ने कहा - अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश न तो दंडात्मक है और न ही इससे कोई कलंक लगता है। इससे कर्मचारी के आचरण पर कोई लांछन नहीं लगता, न ही इसमें कदाचार का कोई निष्कर्ष निकलता है।

इसका मतलब:

- इसके लिए विभागीय जांच जरूरी नहीं
- कर्मचारी को सुनवाई का मौका देना जरूरी नहीं, क्योंकि यह दंड की कार्रवाई नहीं है
- यह बर्खास्तगी - Dismissal / Removal नहीं है। कर्मचारी को नियमानुसार पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ मिलते रहेंगे।

2. सरकार का अधिकार बहुत व्यापक है, लेकिन मनमाना नहीं

कोर्ट ने कहा - अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति का दायरा काफी व्यापक है। इसकी मुख्य शर्त यह है कि संबंधित अधिकारी को पूरी ईमानदारी - Bona Fide - से और ठोस तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए।

> अधिकारी को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि कर्मचारी को सेवा में बनाए रखना अब जनहित में नहीं है। यह संतुष्टि अटकल या मनमर्जी पर नहीं, बल्कि रिकॉर्ड पर मौजूद वस्तुनिष्ठ और प्रासंगिक सामग्री पर होनी चाहिए।

3. डेड वुड को हटाना सरकार का काम है

कोर्ट ने कहा - कोई अधिकारी डेड वुड हो गया है या उसका बने रहना प्रशासनिक कार्यक्षमता के लिए हानिकारक होगा, इसका अंतिम आकलन कार्यपालिका - सरकार - का क्षेत्र है। कोर्ट इसमें अपील की तरह फिर से तथ्यों को तौल नहीं सकती।

न्यायिक समीक्षा - Judicial Review - सिर्फ इतनी है कि क्या सरकार ने अपने तय किए गए नियमों और मापदंडों का पालन किया है या नहीं।

4. बिना बताई गई प्रतिकूल टिप्पणी भी देखी जा सकती है

कर्मचारियों की दलील थी - कुछ प्रतिकूल ACR टिप्पणियां उन्हें बताई ही नहीं गईं, इसलिए उन्हें नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया। कोर्ट ने बैकुंठ नाथ दास के पुराने फैसले का हवाला दिया - सिर्फ इसलिए आदेश रद्द नहीं होगा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए बिना बताई गई प्रतिकूल टिप्पणी भी देखी गई।

साथ ही: देव दत्त बनाम भारत संघ और सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ के मामलों में पूरी सर्विस रिकॉर्ड देखने की बात कही गई थी, इस मामले में कोर्ट ने कहा - पूरा रिकॉर्ड देखा गया है।

5. पदोन्नति से पुरानी खराबी नहीं मिटती

कर्मचारियों की दलील थी - पदोन्नति और नियमितीकरण के बाद पुरानी प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं देखी जा सकतीं।

कोर्ट ने कहा - पदोन्नति पुरानी प्रतिकूल टिप्पणियों को कमजोर कर सकती है, लेकिन पदोन्नति के बाद दर्ज हुई खराब टिप्पणियों को मिटा नहीं सकती।

इस मामले में खराब ग्रेडिंग पदोन्नति के बाद की थी - 2014 से 2017 तक। इसलिए पदोन्नति बचाव नहीं बनी।

4. दूसरे कर्मचारियों को राहत मिली तो इन्हें क्यों नहीं?

कर्मचारियों की ओर से दलील दी गई कि समान परिस्थितियों में काम कर रहे कुछ अन्य कर्मचारियों को सेवा में बने रहने दिया गया, जबकि उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसलिए उनके साथ भेदभाव हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि प्रत्येक कर्मचारी की कार्यक्षमता, कामकाज और सेवा रिकॉर्ड का अलग-अलग आकलन किया जाता है। किसी कर्मचारी को सेवा में बनाए रखने का फैसला दूसरे कर्मचारी के मामले में भी वैसा ही फैसला लेने की बाध्यता पैदा नहीं करता।

एक कर्मचारी को छूट मिलना, दूसरे के लिए अधिकार नहीं बन जाता।

5. गलती को आधार बनाकर लाभ नहीं - अनुच्छेद 14 का सही मतलब

अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि किसी दूसरे मामले में हुई गलती को आधार बनाकर वैसा ही लाभ नहीं मांगा जा सकता।

> अनुच्छेद 14 सकारात्मक अवधारणा है, यह नकारात्मक समानता - Negative Equality को मान्यता नहीं देता। यानी यदि किसी कर्मचारी को सेवा में बनाए रखने का फैसला गलत था, तो दूसरा कर्मचारी भी उसी आधार पर सेवा में बने रहने का दावा नहीं कर सकता।

> एक व्यक्ति के पक्ष में की गई अवैधता या चूक दूसरे व्यक्ति को वही लाभ देने का वैध आधार नहीं बन सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - 14 में से 9 कर्मचारियों को रखा गया, क्योंकि उनका रिकॉर्ड अलग था। 5 को हटाया गया, क्योंकि उनका रिकॉर्ड एक जैसा खराब पैटर्न दिखाता था - लगातार C ग्रेड, B से नीचे समग्र मूल्यांकन, खराब प्रदर्शन की सामग्री।

6. इस फैसले का आम कर्मचारी पर क्या असर होगा?

यह फैसला क्या कहता है:

- 50 साल उम्र या 20 साल सेवा के बाद सरकार समीक्षा कर सकती है
- खराब ACR, संदिग्ध निष्ठा, लगातार गिरता प्रदर्शन - सेवानिवृत्ति का आधार बन सकता है
- सुनवाई और जांच अनिवार्य नहीं, अगर आदेश दंड के रूप में नहीं है
- दूसरे को छूट मिली, यह अकेला आधार नहीं होगा

यह फैसला क्या नहीं कहता है:

- यह नहीं कहता कि सरकार किसी को भी, कभी भी, बिना कारण हटा सकती है
- कारण ठोस, रिकॉर्ड पर, ईमानदार होना चाहिए
- अगर फैसला दुर्भावना, बदले की भावना या बिना किसी सामग्री के है, तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है
- यह VRS - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं है, यह सरकार की ओर से अनिवार्य सेवानिवृत्ति है
- यह कर्ज माफी की तरह नौकरी माफी नहीं है, पेंशन के नियम अलग से लागू होंगे

कर्मचारियों के लिए सबक:

1. ACR को हल्के में न लें - हर साल की ग्रेडिंग जुड़कर 5 साल की तस्वीर बनती है
2. पदोन्नति मिलना अंतिम सुरक्षा नहीं है, पदोन्नति के बाद का प्रदर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है
3. निष्ठा - Integrity - पर सवाल सबसे भारी पड़ता है
4. सेवा के आखिरी 10 साल में काम में ढीलापन सबसे खतरनाक है

सरकार के लिए सबक:

1. स्क्रीनिंग कमेटी, लिखित मापदंड, पूरा रिकॉर्ड - तीनों होने चाहिए
2. मनमर्जी से चुन-चुनकर कार्रवाई की, तो फैसला कोर्ट में टिकेगा नहीं
3. एक समान मापदंड सब पर लागू करना होगा, भले ही परिणाम अलग-अलग हो

संपादकीय निष्कर्ष - जनहित में हमारी अपील

यह फैसला सिर्फ 2 कर्मचारियों का नहीं है, यह पूरी सरकारी व्यवस्था के लिए संदेश है।

सरकार को यह याद रखना चाहिए -

> यह शक्ति सफाई का झाड़ू है, बदले का हथियार नहीं। इसका इस्तेमाल ईमानदारी और रिकॉर्ड के आधार पर हो, तभी यह जनहित है।

कर्मचारी को यह समझना चाहिए -

> सरकारी नौकरी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। यह जनता की सेवा का अनुबंध है। 50 साल तक सेवा करने के बाद भी अगर काम, निष्ठा और कार्यक्षमता में लगातार गिरावट है, तो सरकार को आपको सम्मानपूर्वक, पेंशन सहित, घर भेजने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाया है -

> न तो कर्मचारी को मनमाने ढंग से हटाने की छूट दी है, न ही अयोग्य कर्मचारी को जबरन ढोने की मजबूरी दी है।

कार्यक्षमता ही असली सुरक्षा है, पद नहीं।



टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com



पिंकी कुंडू

आज का साइबर सुरक्षा विचार : फर्जी ग्रीन गैस मीटर अपडेट APK स्कैम: यूटिलिटी सेवाओं के नाम पर साइबर धोखाधड़ी का नया चेहरा

हाल ही में धनबाद (झारखंड) के एक 22 वर्षीय युवक की गिरफ्तारी ने एक ऐसे बढ़ते साइबर खतरे को उजागर किया है, जिसमें ठग उपभोक्ताओं द्वारा गैस, बिजली, पानी एवं अन्य यूटिलिटी सेवा प्रदाताओं पर किए जाने वाले भरोसे का दुरुपयोग करते हैं। आरोपी पर आरोप है कि उसने फर्जी ग्रीन गैस मीटर अपडेट एप्लिकेशन के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी का एक नेटवर्क संचालित किया, जिससे लखनऊ के एक उपभोक्ता को लगभग 32 लाख का आर्थिक नुकसान हुआ।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

जांच में सामने आया कि आरोपी ने ग्रीन गैस उपभोक्ताओं से संबंधित घरेलू स्तर की जानकारी एकत्रित करवाई और उसका उपयोग गैस सेवा प्रदाता के नाम से भ्रामक व्हाट्सएप संदेश भेजने में किया। उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाया गया कि उनके गैस मीटर का अपडेट आवश्यक है तथा इसके लिए उन्हें एक एंड्रॉयड पैकेज किट (APK) फाइल इंस्टॉल करनी होगी।

जैसे ही पीड़ित द्वारा उक्त APK फाइल इंस्टॉल की गई, साइबर अपराधियों को उसके मोबाइल फोन एवं बैंकिंग संबंधी जानकारी तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त हो गई, जिसके बाद धोखाधड़ीपूर्ण वित्तीय लेनदेन किए गए।

मामला तब प्रकाश में आया जब एक उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि उसे व्हाट्सएप पर ग्रीन गैस मीटर अपडेट के नाम पर APK फाइल भेजी गई थी। फाइल इंस्टॉल करने के बाद उसके बैंक खाते से लगभग 32 लाख की धोखाधड़ी कर ली गई। इसके पश्चात साइबर अपराध थाने में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 1.23 लाख नकद, दो मोबाइल फोन, छह एटीएम कार्ड, चार पेमेंट बैंक किट तथा ग्यारह सिम कार्ड बरामद किए। जांच एजेंसियां अन्य आरोपियों और धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं।

संक्रमण (Transmission) का तरीका

इस साइबर धोखाधड़ी में दुर्भावनापूर्ण APK फाइल मुख्य रूप से व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से भेजी गई। अपराधियों ने उपभोक्ताओं का डेटा उपयोग कर ऐसे व्यक्तिगत संदेश भेजे जो देखने में गैस सेवा प्रदाता द्वारा भेजे गए आधिकारिक संदेश प्रतीत होते थे।

उपभोक्ताओं को बताया जाता था कि उनका गैस मीटर तत्काल अपडेट करना आवश्यक है, अन्यथा सेवा बाधित हो सकती है। इसके लिए उन्हें संदेश के साथ भेजी गई APK फाइल इंस्टॉल करने को कहा जाता था।

अपराध की कार्यप्रणाली (Modus Operandi)

1. अपराधियों ने ग्रीन गैस उपभोक्ताओं का डेटा एकत्रित या प्राप्त किया।
2. उपभोक्ताओं को गैस कंपनी के नाम से व्हाट्सएप संदेश भेजे गए।
3. संदेश में ₹Green Gas Meter Update₹ नामक एक दुर्भावनापूर्ण APK फाइल संलग्न थी।
4. APK इंस्टॉल होते ही अपराधियों को मोबाइल डिवाइस और बैंकिंग संबंधी जानकारी तक पहुंच प्राप्त हो गई।
5. इसके बाद चोरी की गई जानकारी का उपयोग करके धोखाधड़ीपूर्ण वित्तीय लेनदेन किए गए।

साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सीख

यह प्रकरण दर्शाता है कि साइबर अपराधी अब निम्नलिखित तकनीकों का संयुक्त रूप से उपयोग कर रहे हैं:

लक्षित उपभोक्ता डेटा (Targeted Consumer Data)

सोशल इंजीनियरिंग

व्हाट्सएप के माध्यम से दुर्भावनापूर्ण APK फाइलों का प्रसार

इन तरीकों के माध्यम से अपराधी लोगों का विश्वास जीतकर उनके मोबाइल बैंकिंग क्रेडेंशियल्स और संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं। व्यक्तिगत और प्रासंगिक दिखने वाले संदेशों पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं, जिससे ऐसे हमलों की सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

स्वयं को साइबर सुरक्षित रखें

निम्नलिखित सावधानियां अवश्य अपनाएं:

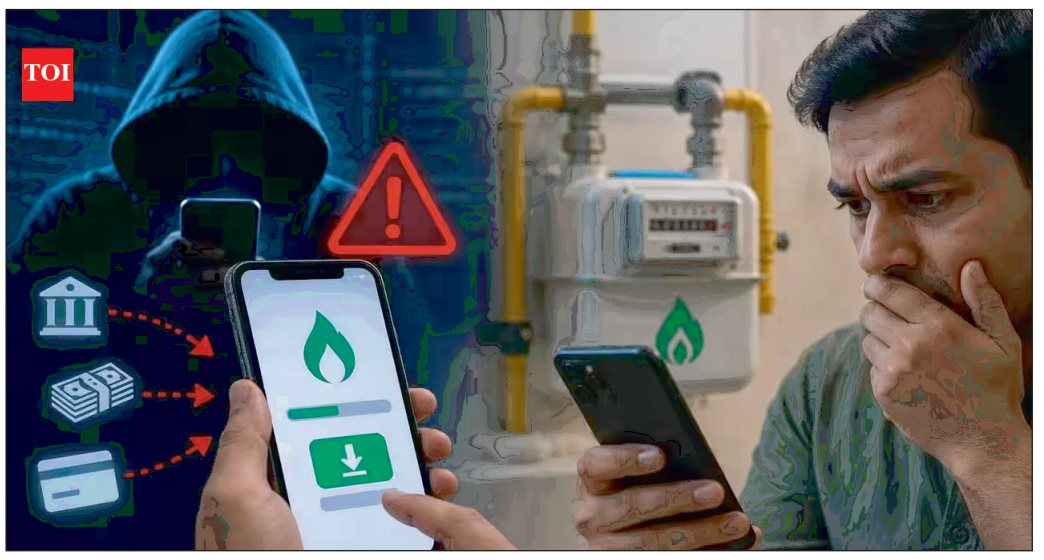
व्हाट्सएप, एसएमएस, टेलीग्राम, ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त APK फाइल कभी इंस्टॉल न करें।

मीटर अपडेट, केवाईसी अपडेट या सेवा संबंधी किसी भी सूचना की पुष्टि सीधे सेवा प्रदाता के आधिकारिक माध्यमों से करें।

एंड्रॉयड फोन में ₹Install from Unknown Sources₹ विकल्प को निष्क्रिय रखें।

किसी भी संदिग्ध संदेश की सूचना राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा साइबर क्राइम पोर्टल पर दें।

ओटीपी, यूपीआई पिन, बैंकिंग पासवर्ड या मोबाइल की रिमोट एक्सेस किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ कभी साझा न करें।



कैसे पहचानें कि अपडेट का संदेश वास्तविक है या फर्जी?

1. आधिकारिक माध्यमों से सत्यापन करें

सेवा प्रदाता के बिल पर अंकित ग्राहक सेवा नंबर पर संपर्क करें।

केवल आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप पर उपलब्ध नंबरों का उपयोग करें।

यह पुष्टि करें कि वास्तव में कोई अद्यतन (Update) अभियान चल रहा है या नहीं।

2. आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप जांचें

स्वयं सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर जाएं।

अपने खाते में लॉगिन कर आधिकारिक सूचनाएं देखें।

जांचें कि अपडेट संबंधी सूचना सार्वजनिक रूप से घोषित की गई है या नहीं।

3. चेतावनी संकेतों (Red Flags) पर ध्यान दें

यदि संदेश में निम्न बातें हों तो सतर्क रहें:

तुरंत कनेक्शन काटने की धमकी।

APK फाइल इंस्टॉल करने का आग्रह।

वर्तनी या व्याकरण संबंधी त्रुटियां।

ओटीपी, बैंकिंग विवरण, यूपीआई पिन या रिमोट एक्सेस की मांग।

किसी एप का स्रोत (Source) कैसे सत्यापित करें?

सुरक्षित स्रोत

Google Play Store

Apple App Store

संस्था की आधिकारिक एवं सत्यापित वेबसाइट

उच्च जोखिम वाले स्रोत

व्हाट्सएप अटैचमेंट

टेलीग्राम फाइलें

एसएमएस डाउनलोड लिंक

अज्ञात प्रेषकों के ईमेल अटैचमेंट

किसी व्यक्ति द्वारा सीधे भेजी गई APK फाइल

डेवलपर का नाम जांचें

किसी भी एप को इंस्टॉल करने से पहले:

Google Play Store पर एप का पेज खोलें।

डेवलपर का नाम जांचें।

डेवलपर की जानकारी की तुलना संस्था की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से करें।

सामान्यतः किसी यूटिलिटी सेवा का वैध एप उसी संस्था अथवा उसके अधिकृत तकनीकी साझेदार द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

एप द्वारा मांगी जा रही अनुमतियां (Permissions) जांचें

इंस्टॉलेशन से पूर्व एप द्वारा मांगी जा रही अनुमतियों का ध्यानपूर्वक परीक्षण करें।

चेतावनी संकेत

Accessibility Services की अनुमति

SMS पढ़ने की अनुमति

संपर्क सूची (Contacts) तक पहुंच

Notification Access

Screen Recording की अनुमति

Device Administrator अधिकार

सामान्य गैस, बिजली या अन्य यूटिलिटी बिलिंग एप को बैंकिंग संदेशों, Accessibility Services या स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसी अनुमतियों की आवश्यकता नहीं होती।

रिव्यू एवं डाउनलोड आंकड़े जांचें

निम्नलिखित पर ध्यान दें:

डाउनलोड की संख्या

उपयोगकर्ता रेटिंग

उपयोगकर्ता समीक्षाएं

धोखाधड़ी या मैलवेयर संबंधी शिकायतें

बहुत कम डाउनलोड, खराब रेटिंग या संदिग्ध समीक्षाओं वाले एप से सावधान रहें।

APK फाइल स्कैन करें

यदि किसी APK फाइल की जांच आवश्यक हो:

उसे विश्वसनीय मोबाइल सुरक्षा सॉफ्टवेयर से स्कैन करें।

आवश्यकता होने पर VirusTotal जैसे मैलवेयर विश्लेषण प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।

केवल वैध दिखने के आधार पर किसी APK को इंस्टॉल न करें।

डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) का सत्यापन

तकनीकी विशेषज्ञों और जांच अधिकारियों के लिए:

APK के साइनिंग सर्टिफिकेट की तुलना उसके पूर्व वैध संस्करणों से करें।

सर्टिफिकेट की निरंतरता (Continuity) की पुष्टि करें।

अलग अथवा परिवर्तित सिग्नेचर फर्जीवाड़े या छेड़छाड़ का संकेत हो सकता है।

कोई भी वास्तविक गैस, बिजली, पानी या अन्य यूटिलिटी सेवा प्रदाता व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से भेजी गई APK फाइल इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहता।

हमेशा अपडेट की पुष्टि आधिकारिक वेबसाइट, अधिकृत एप स्टोर या ग्राहक सेवा नंबर के माध्यम से करें। संदेह होने पर APK इंस्टॉल न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करें।

सरायकेला के जमरों में हंडिया बेच रही महिला की नृशंस हत्या ,हत्यारा गिरफ्तार

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड



रांची जिले के सुदूरवर्ती और पिछड़े इलाकों में शुमार कुचाई थाना क्षेत्र के जंबरो गांव में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. बीते मंगलवार की रात गांव की 47 वर्षीय आदिवासी महिला की कथित तौर पर धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई. इस वारदात की भयावहता ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है, क्योंकि आरोपी पर हत्या के बाद महिला के साथ अमानवीय क्रूरता का आरोप है.समाचार लिखे जाने तक आरोपी को जेल भेजे जाने की बात थाना प्रभारी रविन्द्र मुंडा ने कही है

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार की शाम जंबरो गांव में एक स्थानीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. परिवार के भरण-पोषण के लिए महिला ने वहां पारंपरिक पेय 'हड़िया' का स्टॉल लगाया था. आरोप है कि गांव के ही 54 वर्षीय पैलेस मुंडा ने वहां हड़िया पी और फिर महिला को जबरन उठाकर अपने घर ले गया

उधर, देर रात तक जब महिला घर नहीं लौटीं, तो उनके पति चिंतित होकर उनकी तलाश में निकले. रात करीब 12 बजे घर के समीप ही महिला का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ. इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. मृतक महिला के पति ने आरोप लगाया कि पैलेस मुंडा ने हत्या के बाद शव के साथ बेहद क्रूरता की.

घटना की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश व्याप्त हो गया. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पैलेस मुंडा को पकड़ लिया और कुचाई थाना पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से गहन जांच की जा रही है.

इस जघन्य अपराध की चौतरफा निंदा हो रही है. आदिवासी कोल्हान सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु बानरा ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए पुलिस से आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कठोर सजा दिलाने की मांग की है.

इधर, घटना की पुष्टि करते हुए कुचाई थाना प्रभारी रविंद्र सिंह मुंडा ने बताया कि आरोपी को दलभंगा ओपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. हत्या के आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त गला काटने वाला चाकू एवं कुल्हाड़ी बरामद की गई है. वही हत्या कर अंग को पकाने के आरोपों पर थाना प्रभारी ने कहा कि शरीर के कुछ हिस्से के मांस को निकालकर कढ़ाई में रखकर आरोपी द्वारा पकाने का प्रयास किया गया था, जिसकी पुष्टि के लिए पुलिस जांच कर रही है.

टाटा स्टील एवं झारखंड सरकार के बीच तीन दशक पुरानी जल शुल्क विवाद का हुआ समाधान

वकाया धनराशि 55 .9425 करोड़ रुपए 1998 के पहले अवधि के लिये देगी टाटा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

टाटा नगर (जमशेदपुर), टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच करीब तीन दशक से चले आ रहे बकाया जल शुल्क विवाद का समाधान हो गया है. झारखंड हाइकोर्ट में हुए समझौते के तहत टाटा स्टील 1 जुलाई 1998 से पहले की अवधि के लिए बकाया 55.9425 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान चालू वित्त वर्ष 2026-27 में करेगी. कंपनी ने इस राशि का भुगतान जल्द से जल्द करने पर सहमति जतायी है. समझौते के बाद हाइकोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को मामले का निष्पादन कर दिया.

यह मामला सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3819/1993 (आर) से जुड़ा है. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और कंपनी के शेयरधारक अरुण नारायण सिंह ने बिहार सरकार, सिंचाई विभाग के सचिव और सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के प्रशासक के खिलाफ याचिका दायर की थी. बाद में झारखंड राज्य बनने के बाद इस मामले में राज्य सरकार पक्षकार रही.

हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि विवाद का समझौते के जरिये समाधान हो गया है और याचिका का निपटारा समझौते की शर्तों के अनुसार किया जा सकता है.

राज्य सरकार की ओर से अदालत में कार्यपालक अभियंता संजय कुमार सिंह का शपथपत्र पेश किया गया. वह सुवर्णरेखा बांध प्रमंडल संख्या-2, चांडिल में पदस्थापित हैं. शपथपत्र के मुताबिक, हाइकोर्ट के निर्देश के बाद



जल संसाधन विभाग ने 28 सितंबर 2026 को मध्यस्थता समिति गठित की थी. टाटा स्टील ने भी 12 अक्टूबर 2026 को अपने प्रतिनिधियों को समिति के लिए नामित किया.

15 अक्टूबर 2026 को रांची के जल भवन में समिति की बैठक हुई. इसमें 1 जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क पर चर्चा की गयी. बैठक में सामने आया कि 1 जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक के जल शुल्क से जुड़े अन्य विवादों का समाधान हाइकोर्ट के 28 जून 2024 के फैसले के माध्यम से पहले ही हो चुका है.

शपथपत्र के अनुसार, लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त करने के उद्देश्य से टाटा स्टील ने 55.9425 करोड़ रुपये की पूरी मांग राशि चुकाने का प्रस्ताव दिया. कंपनी ने इस राशि का भुगतान चालू वित्त वर्ष 2026-27 में जल्द से जल्द करने पर सहमति जतायी. इसके बाद दोनों पक्षों ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3819/1993 से जुड़े सभी विवादों और मुद्दों के निपटारे पर सहमति दी.

हाइकोर्ट ने दोनों पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर समझौते की शर्तों के अनुसार याचिका का अंतिम रूप से निष्पादन कर दिया. अदालत ने लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया. साथ ही, मामले में लंबित किसी भी अंतरिम आवेदन को भी निष्पादित कर दिया.

ढेंकानाल जिले के पर्यटन उद्योग को मिला बढ़ावा, दो नए इको-टूरिज्म स्थलों का शुभारंभ

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओडिशा

ढेंकानाल/भुबनेश्वर : जिले के पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली से भरपूर वातावरण के बीच दो नए इको-टूरिज्म स्थलों की शुरुआत की गई है। कामाख्यानगर पश्चिमांचल वन क्षेत्र के पाकटमुंडा और तुमुसिंगा में इन दोनों इको-टूरिज्म स्थलों का उद्घाटन परजंग विधायक विभूति भूषण प्रधान ने किया।

इस पहल से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की संभावना है।

परजंग विधायक विभूति भूषण प्रधान ने विधिवत रूप से दोनों पर्यटन स्थलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आरसीसीएफ संजय स्वाईं, डीएफओ ललित कुमार पात्र, पूर्वांचल रेंज के अधिकारी सुशांत कुमार पात्र, रेंजर कैलाश चंद्र साहू सहित वन विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

प्राकृतिक हरियाली और मनोरम वातावरण के बीच स्थित ये दोनों स्थल आने वाले दिनों में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। इन स्थलों के माध्यम से पर्यटक प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकेंगे और जिले के पर्यटन को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। प्रारंभिक चरण में इको-टूरिज्म परियोजना शुरू की



गई है। विधायक ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में यहां बिजली कनेक्शन, बेहतर आवागमन व्यवस्था और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे इन पर्यटन स्थलों को विकसित करने और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।

अखिलेश की राजनीति परिवारवाद और जातिवाद तक सीमित : सुनीता सिंह

पूर्व विधायक ने सपा की नीतियों पर उठाए सवाल, मोदी सरकार के विकास कार्यों और राष्ट्रवाद को बताया नए भारत की पहचान

प्रियांशु पाण्डे

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)। जमानिया की पूर्व विधायक सुनीता सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी राजनीति परिवारवाद, जातिवाद और सत्ता की महत्वाकांक्षा तक सीमित दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के पास प्रदेश के विकास, युवाओं के भविष्य और किसानों की समस्याओं के समाधान का कोई ठोस रोडमैप नहीं है।

एक विशेष बातचीत में सुनीता सिंह ने कहा कि केवल भाजपा का विरोध करने से जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता। विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करते हुए विकास के लिए ठोस सुझाव देने चाहिए। उन्होंने सपा सरकार के पूर्व कार्यकाल पर कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। राजमार्ग, रेलवे, डिजिटल सेवाएं, रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, जनधन और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं से आम नागरिकों को लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर आधारित है। समाज को जाति और वर्गों में बांटने के बजाय सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना आवश्यक है।

सनातन संस्कृति और धार्मिक विरासत पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर, काशी



विश्वनाथ धाम और उज्जैन के महाकाल लोक जैसी परियोजनाओं ने देश की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती दी है। इनसे धार्मिक पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिला है।

महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्वयं सहायता समूहों, आवास, उज्ज्वला, शिक्षा, कौशल विकास, सड़क, बिजली और पेयजल सुविधाओं को महत्वपूर्ण बताया।

सुनीता सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश को परिवारवाद तथा तुष्टीकरण की राजनीति से आगे बढ़कर विकास, सुशासन, सामाजिक समरसता और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देनी चाहिए। भाजपा का लक्ष्य विकसित भारत और सशक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com

(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023